



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 आश्विन 1938 (श०)
(सं० पटना 805) पटना, रविवार, 2 अक्टूबर 2016

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

2 अक्टूबर 2016

सं० एल०जी०-०१-१४/२०१६/१८६/लेजः।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापाठित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक ०७ सितम्बर, २०१६ को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

संजय कुमार,

सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 20, 2016]

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

बिहार राज्य के राज्यक्षेत्र में शराब और मादक द्रव्य के पूर्ण मद्यनिषेध को लागू करने, कार्यान्वित करने और प्रोत्साहित करने के लिए और इससे जुड़े अथवा इसके आनुषांगिक विषयों के लिए अधिनियम।

चूँकि, बिहार राज्य में शराब और मादक द्रव्य के निषेध और विनियमन, उसपर शुल्क का उद्ग्रहण और बिहार राज्य में कानून के उल्लंघन के लिए दंड से संबंधित एक समान विधि का प्रावधान करना समीचीन है;

इसलिए, अब भारत-गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

अध्याय I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।—(1) यह अधिनियम बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएँ।—इस अधिनियम में जबतक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो—

- (1) “अधिनियम” से अभिप्रेत है बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016
- (2) “एल्कोहॉल (मद्यसार)” से अभिप्रेत है ऐसा इथायल एल्कोहॉल जो रंगहीन वाष्पशील ज्वलनशील कार्बनिक द्रव हो जिसका उत्पादन प्राकृतिक रूप से अथवा शर्करा के यीस्ट फरमेन्टेशन से हो और जो शराब, बियर, स्पिरिट और अन्य मद्यसारिक (एल्कोहॉलिक) पेय का मदनोत्पन्न करनेवाला घटक हो और औद्योगिक विलायक के रूप में और ईंधन के रूप में भी प्रयुक्त हो;
- (3) “एल्कोहॉलिक” से अभिप्रेत है किसी शक्ति और शुद्धता का एल्कोहल का मिश्रण अथवा घोल।
- (4) “मदिरा अथवा पेय शराब” से अभिप्रेत है कोई पेय पदार्थ जिसमें बी०आई०एस० मानकों के अनुरूप एल्कोहॉल हो, जो नशा करने वाली हो और मानव उपभोग के लिए उपयुक्त हो;
- (5) “बियर” से अभिप्रेत है कोई ऐसा द्रव जिसे शर्करा और हॉप के साथ अथवा उसके बिना माल्ट अथवा अनाज से बनाया जाता हो और इसके अंतर्गत बियर, एल, स्टाउट, पोर्टर और ऐसी अन्य वस्तुएँ हैं;
- (6) “बी०आई०एस० मानक” से अभिप्रेत है भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विहित मानक अथवा सुसंगत अधिनियम के अधीन गठित केन्द्र सरकार के किसी अन्य प्राधिकार द्वारा विहित मानक;
- (7) “बोर्ड (पर्षद)” से अभिप्रेत है राजस्व पर्षद;
- (8) “काला गुड़” से अभिप्रेत है मानव उपभोग के लिए सामान्यतया अनुपयुक्त खजूर अथवा गन्ने के रस से बना मोटा भूरा शर्करा किन्तु जिसमें इथायल एल्कोहॉल बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में किण्वन योग्य शर्करा हो;
- (9) “सम्मिश्रण करना” से अभिप्रेत है दो अथवा अधिक स्पिरिटों को मिलाना जो विभिन्न शक्तियों और विभिन्न गुणों के हो सकते हैं;
- (10) “बंधित भांडागार” से अभिप्रेत है ऐसी शराब जिसपर शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है, के भंडारण के लिए इस अधिनियम के अधीन स्थापित अनुज्ञप्त निजी बंधित भांडागार अथवा सार्वजनिक बंधित भांडागार का कोई हिस्सा;
- (11) “बोतल में भरना” से अभिप्रेत है बिक्री के प्रयोजनार्थ किसी पीपा अथवा अन्य बरतन से बोतल अथवा किसी अन्य पात्र में शराब अंतरित करना चाहे परिशोधन की प्रक्रिया अपनाई गई हो अथवा नहीं; और इसमें दुबारा बोतल में भरना सम्मिलित है;
- (12) “बॉटलिंग संयंत्र” से अभिप्रेत है वह परिसर जहाँ शराब बोतलबंद की जाती है और इसमें ऐसा हरेक स्थान शामिल है जहाँ इसका भंडारण होता है अथवा जहाँ से इसे निर्गत किया जाता है;
- (13) “मद्यनिर्माणशाला” से अभिप्रेत है ऐसे परिसर जहाँ बियर बनाए जाते हैं और इसमें ऐसा हरेक स्थान शामिल है जहाँ बियर भंडारित किया जाता है अथवा जहाँ से इसे निर्गत किया जाता है;
- (14) “मिश्रण करना” से अभिप्रेत है स्पिरिट में सुगंधित करने अथवा रंगीन करने की वस्तु अथवा दोनों को मिलाकर मदिरा का निर्माण करना;
- (15) “समाहर्ता (कलक्टर)” से अभिप्रेत है जिला का समाहर्ता—सह—जिला—दण्डाधिकारी जिसमें अपर समाहर्ता सह अपर जिला दण्डाधिकारी अथवा उपसमाहर्ता अथवा कोई व्यक्ति जो समाहर्ता—सह जिला दण्डाधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने और उसका कार्य निष्पादित करने के लिये अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा नियुक्त हों।
- (16) “देशी अथवा पारंपरिक शराब” से अभिप्रेत है
 - महुआ, चावल, गुड़, शीरा अथवा अनाज से बना सादा अथवा मसालेदार स्पिरिट; अथवा
 - प्रच्छन्न स्पिरिट अथवा अति निष्क्रिय एल्कोहॉल से बना सादा अथवा मसालेदार स्पिरिट; अथवा

- ताड़ी, अथवा
- देशी प्रक्रिया के अनुसार महुआ, चावल, मिलेट अथवा अन्य अनाजों से बने सभी किण्वित शराब जिसमें पचवाई शामिल है
- (17) “नशामुक्ति केन्द्र” से अभिप्रेत है व्यसनियों को उनके व्यसन का इलाज करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिष्ठापित केन्द्र।
- (18) “विकृतिकारक” से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बने नियम द्वारा विहित कोई वस्तु जिसे स्पिरिट के साथ मिलाने से वह मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हो जाय चाहे पेय पदार्थ के रूप में हो अथवा आंतरिक रूप से औषधि के रूप में हो अथवा किसी अन्य रूप में हो;
- (19) “विकृत करना” से अभिप्रेत है स्पिरिट को एक अथवा अधिक विकृतिकारकों के साथ ऐसी रीति से मिलाना जो इस अधिनियम के अधीन इस निमित्त बने नियम द्वारा विहित की जाय और “विकृत स्पिरिट” से अभिप्रेत है इस प्रकार मिश्रित स्पिरिट;
- (20) “आसवनी (डिस्टीलरी)” से अभिप्रेत है वे परिसर जहाँ स्पिरिट अथवा इथनॉल बनाए जाते हैं और इनमें वह हरेक स्थान शामिल है जहाँ इसे भंडारित किया जाता है अथवा जहाँ से इसे निर्गत किया जाता है;
- (21) “शुल्क” से अभिप्रेत है यथास्थिति संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 51 में यथाउल्लिखित उत्पाद शुल्क अथवा ऐसे अन्य प्रयोजन के लिये;
- (22) “उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं अथवा मदों” से अभिप्रेत है—
 - (i) इस अधिनियम के अधीन यथापरिभाषित कोई शराब अथवा मादक द्रव्य; अथवा
 - (ii) मदोन्मत्त करनेवाली कोई औषधि; अथवा
 - (iii) कोई मध्यवर्ती/अंतिम उत्पाद जो किसी ऐल्कोहॉल के लिए कच्ची सामग्री के रूप में कार्य करे; अथवा
 - (iv) कोई सामग्री अथवा वस्तु जिसका प्रयोग ऐल्कोहॉल के प्रतिस्थानी के रूप में किया जा सके; अथवा
 - (v) कोई वस्तु अथवा सामग्री जिसका प्रयोग अथवा उपभोग नशा के लिए किया जा सके।
- (23) “उत्पाद आयुक्त” से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 5 के अधीन नियुक्त पदाधिकारी;
- (24) “उत्पाद पदाधिकारी” से अभिप्रेत है कलक्टर (समाहर्ता) अथवा इस अधिनियम की धारा-6 के अधीन नियुक्त कोई पदाधिकारी;
- (25) “उत्पाद राजस्व” से अभिप्रेत है इस अधिनियम अथवा शराब अथवा नशीली औषधियों से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी शुल्क, फीस, कर, भुगतान (दांडिक न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माना से भिन्न) अथवा लागू या आदेशित अधिहरण से प्राप्त अथवा प्राप्त होनेवाले राजस्व;
- (26) “इथनॉल” से अभिप्रेत है साफ, रंगहीन और समरूप द्रव जिसमें आवश्यक रूप से इथायल ऐल्कोहॉल हो और जिसमें 0.5% आयतन से अनधिक जल मिला हो तथा बी0आई0एस0 मानक के अनुरूप हो;
- (27) “निर्यात” से अभिप्रेत है केन्द्र सरकार द्वारा यथा परिभाषित संपूर्ण सीमा शुल्क की सीमा से अन्यथा बिहार राज्य से बाहर ले जाना;
- (28) व्याकरणिक रूप भेदों और सजातीय पदों के साथ “भारत से बाहर निर्यात” से अभिप्रेत है बिहार राज्य से भारत के बाहर किसी स्थान पर ले जाना;
- (29) “अति निष्क्रिय ऐल्कोहॉल अथवा प्रच्छन्न स्पिरिट” से अभिप्रेत है वैसा स्पिरिट जिसे केन्द्र सरकार के सुसंगत प्राधिकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय;
- (30) “परिवार” से अभिप्रेत है, पति, उसकी पत्नी और एक मकान में एक साथ रह रहे उनके आश्रित बच्चे।
- (31) “किण्वित शराब” से अभिप्रेत है किण्वन की प्रक्रिया से प्राप्त शराब और इसमें बियर, एल, स्टाउट, पोर्टर, शराब, पचवाई, किण्वित ताड़ी और इसमें अन्य समान मादक द्रव्य शामिल है;
- (32) “विदेशी शराब” से अभिप्रेत है भूमि, हवा अथवा समुद्र से भारत में आयातित कोई शराब;
- (33) “तैयार उत्पाद” से अभिप्रेत है किसी प्रक्रिया के अंतिम उत्पाद के साथ ऐसे अन्य उपोत्पाद जिसे बॉटलिंग प्लांट, आसवनी, शीरा कारखाना अथवा कोई अन्य कारखाना, प्राथमिक/द्वितीयक प्रक्रिया के परिणामस्वरूप तैयार कर सकते हों और इसमें शराब, मादक द्रव्य, नशीली औषधियाँ, स्पिरिट, शीरा, इथनॉल, अति निष्क्रिय स्पिरिट और ऐसी अन्य मद्यसारिक वस्तुएँ शामिल हैं;
- (34) “भांग/गाँजा (हेम्प) पौधा” से अभिप्रेत है कैनाबिस वर्ग का कोई पौधा;

- (35) "होलोग्राम और होलोग्राम युक्त स्टिकर" से अभिप्रेत है उत्पाद आयुक्त द्वारा यथा अनुमोदित ऐसा लेबल जिसपर विनिर्माता और ब्रांड के नाम के अलावा हरेक बॉटलिंग कार्य का बैच नम्बर अंकित हो। होलोग्राम युक्त स्टिकर ऐसे स्टिकर होते हैं जिन्हें उत्पाद आयुक्त के माध्यम से विनिर्माता द्वारा लागत के भुगतान होने पर प्राधिकृत मुद्रक (मुद्रकों) को आपूर्ति की जाती है।
- (36) "अवैध शराब" से अभिप्रेत है ऐसी शराब जो इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में बनाई जाती हो अथवा भंडारित की जाती हो अथवा वितरित की जाती हो अथवा बेची जाती हो या ऐसी शराब जिसपर इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन उद्गृहीत समुचित शुल्क अथवा फीस का भुगतान नहीं किया गया हो और इसमें ऐसी विदेशी शराब भी शामिल है जिसपर समुचित शुल्क अथवा सीमाशुल्क का भुगतान नहीं किया गया हो;
- (37) "भारत में आयात" मुहावरा को छोड़कर "आयात" से अभिप्रेत है केन्द्र सरकार द्वारा यथा परिभाषित सम्पूर्ण सीमा-शुल्क की सीमा से अन्यथा बिहार राज्य में लाना;
- (38) व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों के साथ "भारत में आयात" से अभिप्रेत है भारत के बाहर किसी स्थान से बिहार राज्य में लाना;
- (39) "भारत में बनी विदेशी शराब" से अभिप्रेत है आसवन की प्रक्रिया से अथवा आसवन द्वारा प्राप्त ऐल्कोहॉल का प्रयोग कर भारत में बनी शराब जैसे विस्की, ब्रांडी, रम, जिन, वोदका, मध्विरा (लिक्युर), बीयर और अन्य कम शक्ति की मदिरा किन्तु इसके अंतर्गत विदेशी शराब अथवा देशी शराब नहीं हैं;
- (40) "मादक द्रव्य" से अभिप्रेत है।—
- शराब, अथवा
 - स्पिरिट जिसमें प्रच्छन्न स्पिरिट अथवा इ0एन0ए0 शामिल है; अथवा
 - मिथाईल अल्कोहल, अथवा
 - इथनॉल चाहे विकृत हो अथवा नहीं; अथवा
 - कोई पदार्थ जिससे शराब आसवित की जा सके और जिसे राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ राजपत्र में अधिसूचना द्वारा मादक द्रव्य घोषित कर दिया जाय; अथवा
 - नशीली औषधि; अथवा
 - औषधीय और प्रसाधन निर्मितियाँ (उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1955 के अधीन यथा परिभाषित औषधीय निर्मितियाँ; अथवा
 - कोई निर्मिति अथवा घटक, औषधीय अथवा अन्यथा, चाहे ठोस, अर्द्ध ठोस, द्रव, अर्द्ध द्रव अथवा गैसीय हो, स्थानीय रूप से बना हो अथवा अन्यथा, जो ऐल्कोहॉल के रूप में अथवा ऐल्कोहॉल के प्रतिस्थानी के रूप में काम कर सके और जिसका प्रयोग अथवा उपभोग नशा लाने के प्रयोजनार्थ किया जा सके;
- (41) "मादक औषधि" से अभिप्रेत है।—
- गाँजा के पौधे (कैनाबिस सटिवा एल0) की पत्तियाँ, छोटे डंठल और फूल अथवा फल के ऊपरी हिस्से जिसमें भाँग, सिद्धि अथवा गाँजा के रूप में सभी ज्ञात रूप शामिल हैं;
 - चरस जो हेम्प पौधे से प्राप्त किया गया रेसिन है जिसे पैकिंग और परिवहन की आवश्यकता को छोड़कर किसी अन्य रूप में स्वीकार नहीं किया गया है;
 - कोई मिश्रण जो मादक औषधि के उपर्युक्त किसी रूप में हो चाहे उसमें निष्क्रिय पदार्थ हो अथवा नहीं अथवा इससे तैयार कोई पेय पदार्थ; और
 - कोई अन्य मादक अथवा स्वापक पदार्थ जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा मादक औषधि घोषित करे, ऐसा पदार्थ स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा-2 में यथापरिभाषित अफीम, कोका पत्ती अथवा कोई विनिर्मित औषधि न हो;
- (42) "अनुज्ञप्ति" से अभिप्रेत है इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन स्वीकृत अनुज्ञप्ति;
- (43) "अनुज्ञापन प्राधिकारी" से अभिप्रेत है वह पदाधिकारी जो इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति, परमिट और पास देने, निलंबित करने और रद्द करने के लिए प्राधिकृत हो;
- (44) "शराब" से अभिप्रेत है देशी अथवा पारंपरिक शराब, भारत में बनी विदेशी शराब, विदेशी शराब अथवा कोई निर्मिति अथवा घटक चाहे ठोस, अर्द्ध ठोस, द्रव, अर्द्ध द्रव अथवा गैसीय हो, स्थानीय रूप से बना हो अथवा अन्यथा जो ऐल्कोहॉल अथवा ऐल्कोहॉल के प्रतिस्थानी के रूप में काम कर सके और जिसका प्रयोग अथवा उपभोग नशा लाने के प्रयोजनार्थ किया जा सके;

- (45) “विनिर्माणशाला” से अभिप्रेत है कोई चीनी मिल, आसवनी, मद्यनिर्माणशाला, शराब निर्माण शाला अथवा कोई स्थापना जहाँ शराब अथवा मादक द्रव्य का आसवन, मद्यकरण, विनिर्माण सम्मिश्रण अथवा बॉटलिंग होता हो;
- (46) “विनिर्माण” में शामिल है।—
- (i) हरेक प्रक्रिया चाहे प्राकृतिक हो अथवा कृत्रिम, जिससे कोई मादक द्रव्य उत्पन्न अथवा तैयार किया जाता हो (इसमें ताड़ी उत्पन्न करनेवाले वृक्षों को छेदना और उन वृक्षों से ताड़ी निकालना शामिल है)
 - (ii) पुनर्आसवन, और
 - (iii) शराब के परिशोधन, सम्मिश्रण, उसे सुगंधित करने और रंगीन बनाने के लिए अथवा बिक्री हेतु शराब को घटाने की हरेक प्रक्रिया
- (47) “विनिर्माता” से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो कोई शराब अथवा मादक द्रव्य बनाता हो और इसमें ऐल्कोहॉल का विनिर्माता शामिल है;
- (48) “मिथायल ऐल्कोहॉल” से अभिप्रेत है।—
वह पदार्थ जिसका रासायनिक सूत्र CH_3OH हो, जो मिथनॉल, कार्बिनॉल अथवा मिथायल हाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता हो और जो अत्यधिक विषैली प्रकृति का हो; अथवा—
—ऊपर यथापरिभाषित मिथायल ऐल्कोहॉल के निष्क्रिय पदार्थ के साथ अथवा उसके बिना कोई मिश्रण जिसमें कम से कम 0.05% आयतन वाला मिथायल ऐल्कोहॉल हो और इसमें काष्ठ नेप्था शामिल है;
- (49) “शीरा विनिर्माणशाला” से अभिप्रेत है वह परिसर जहाँ शीरा बनाया जाता है और इसमें ऐसा हरेक स्थान शामिल है जहाँ यह भंडारित किया जाता है अथवा जहाँ से इसे निर्गत किया जाता है और इसमें चीनी मिलें सम्मिलित हैं;
- (50) अधिसूचना से अभिप्रेत है इस अधिनियम और इसके अधीन गठित नियमावली के अधीन निर्गत और राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना।
- (51) “पचवाई” से अभिप्रेत है किण्वित चावल, मिलेट अथवा अन्य अनाज, चाहे किसी द्रव के साथ मिश्रित हो अथवा नहीं और इससे प्राप्त कोई द्रव चाहे पानी मिलाया गया हो अथवा नहीं, किन्तु इसमें बियर शामिल नहीं है;
- (52) “परमिट (अनुज्ञा पत्र)” से अभिप्रेत है इस अधिनियम और/अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन दिया गया प्राधिकरण;
- (53) “स्थान” में भवन, मकान, दुकान, नाव, मण्डप(बूथ), जलयान, रैफ्ट, वाहन, परिवहन, अथवा टेन्ट संलग्नक शामिल हैं;
- (54) “सार्वजनिक स्थान” से अभिप्रेत है वह स्थान जहाँ चाहे अधिकार स्वरूप अथवा नहीं लोगों की पहुँच हो और इसमें जनसाधारण द्वारा जाए जानेवाले सभी स्थान शामिल हैं और इसमें कोई खाली जगह अथवा परिवहन चाहे निजी हो अथवा सार्वजनिक; भी शामिल है;
- (55) “थाना” से अभिप्रेत है दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम 2) की धारा-2 के खंड (घ) के अधीन यथापरिभाषित थाना;
- (56) “विहित” से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम द्वारा विहित;
- (57) “लोक मांग” से अभिप्रेत है बिहार और उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 (अधिनियम 4, 1914) के अधीन यथापरिभाषित लोक मांग;
- (58) “परिसर” से अभिप्रेत है इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ रियल इस्टेट, भूमि तथा उसपर कुछ विकास कार्य, भवन, भंडार, दुकान, होटल, रेस्तराँ, बार अथवा अन्य अभिहित संरचना;
- (59) “परिशोधन” में ऐसी हरेक प्रक्रिया शामिल है जिसके द्वारा स्पिरिट के साथ कुछ पदार्थ मिलाकर शोधित किया जाता है अथवा रंगा जाता है अथवा सुगंधित बनाया जाता है;
- (60) “परिशोधित स्पिरिट” से अभिप्रेत है गैर विकृत (शुद्ध) ऐल्कोहॉल जिसमें परिशुद्ध ऐल्कोहॉल, अति निष्क्रिय ऐल्कोहॉल और माल्ट से प्राप्त किया गया ऐल्कोहॉल जो बी0आई0एस0 मानक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, शामिल है;
- (61) नियमावली से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन गठित नियमावली।
- (62) “सुसंगत विधि” से अभिप्रेत है।—
भारतीय पावर ऐल्कोहॉल अधिनियम, 1948 (1948 का 22), मोटर स्पिरिट कराधान अधिनियम, औषधीय और प्रसाधन निर्मितियाँ (उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1955 (1955 का 16), स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) और ऐसे अन्य अधिनियम जो इस अधिनियम के प्रयोग के लिए सुसंगत हों;
- (63) “विशेष शुल्क” से अभिप्रेत है किसी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु के आयात पर कर जिसपर संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 51 में यथाउल्लिखित प्रतिशुल्क केवल इस आधार

पर अधिरोपित करने योग्य नहीं है कि ऐसी वस्तु का विनिर्माण अथवा उत्पादन उस राज्य क्षेत्र में नहीं किया जा रहा है जहाँ तक इस अधिनियम का विस्तार है;

- (64) "स्पिरिट" से अभिप्रेत है कोई शराब जिसमें आसवन द्वारा प्राप्त ऐल्कोहॉल रहता है चाहे वह विकृत हो अथवा नहीं;
- (65) "मादक (स्पिरिटयुक्त) निर्मिति" से अभिप्रेत है। —
 - (क) कोई औषधीय अथवा प्रसाधन निर्मिति जिसमें ऐल्कोहॉल हो;
 - (ख) कोई रोगाणुरोधक निर्मिति अथवा घोल जिसमें ऐल्कोहॉल हो;
 - (ग) कोई सुगंधकारी अर्क, सुगंधी अथवा सीरप जिसमें ऐल्कोहॉल हो;
- (66) "नकली शराब" से अभिप्रेत है वैसी शराब जिसमें नशा लाने के लिए कोई चीज मिला दी गई हो और जो उपभोक्ताओं के लिए नुकसानदायक हो;
- (67) "स्टिल (भभका)" में स्पिरिट के आसवन अथवा विनिर्माण के लिए कोई उपकरण अथवा उसका कोई भाग शामिल है;
- (68) राज्य सरकार से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार।
- (69) "ताड़ी" से अभिप्रेत है नारियल, ताड़, खजूर अथवा किसी अन्य प्रकार के ताड़ के वृक्ष से निकाला गया खमीर युक्त अथवा खमीर मुक्त रस;
- (70) "अस्थायी संरचना" से अभिप्रेत है कोई ऐसी संरचना जिसमें नींव डालने की आवश्यकता न हो तथा जिसे आसानी से गिराया जा सके, बहुत आसानी से आकृति में परिवर्तन किया जा सके, और जो इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ पूर्ण रूप से सीलबंद नहीं किया जा सके;
- (71) "पारगमन" से अभिप्रेत है बिहार राज्य से होकर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना-आना;
- (72) "परिवहन" से अभिप्रेत है बिहार राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना;
- (73) "भांडागार" से अभिप्रेत है वह स्थान जहाँ शराब अथवा मादक द्रव्य के भंडारण की अनुमति हो और इसमें विनिर्माणशाला का प्रासंगिक भाग शामिल है;
- (74) "शराब (वाइन)" से अभिप्रेत है चीनी अथवा गुड़ को मिलाकर अथवा बिना मिलाए अंगूर अथवा अन्य फलों के किण्वित रस जिसमें स्वउत्पन्न ऐल्कोहॉल हो तथा इसमें फोर्टिफाइड वाइन शामिल है;
- (75) "शराब निर्माणशाला (वाइनरी)" से अभिप्रेत है ऐसे परिसर जहाँ शराब बनाई जाती है और इसमें ऐसा हरेक स्थान शामिल है जहाँ इसका भंडारण होता है अथवा जहाँ से यह निर्गत होती है;

3. मादक द्रव्य घोषित करने की शक्ति।—इस अधिनियम की धारा-2 की उपधारा (40) के अधीन उल्लिखित किसी बात के हुए भी राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम अथवा इसके किसी भाग के प्रयोजनार्थ ऐसे मदों अथवा वस्तुओं अथवा रसायनिक घटक जो अल्कोहल का प्रतिस्थानी के तौर पर प्रयुक्त हो सकता है को ऐसे प्रतिबंधों अथवा शर्तों के साथ जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाय, मादक द्रव्य घोषित कर सकेगी।

4. कतिपय अधिनियमों की व्यावृत्ति।—इस अधिनियम की कोई बात—

- (क) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का अधिनियम 52) अथवा
- (ख) छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41), के उपबंधों को प्रभावित नहीं करेगी।

अध्याय II

स्थापन और नियंत्रण

5. उत्पाद आयुक्त की नियुक्ति।—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उत्पाद आयुक्त की नियुक्ति कर सकेगी जो इस अधिनियम के प्रबंध के लिए उत्तरदायी होगा।

6. उत्पाद पदाधिकारियों की नियुक्ति।—राज्य सरकार अपर आयुक्त, संयुक्त आयुक्त, उपायुक्त, सहायक आयुक्त, उत्पाद अधीक्षक, उत्पाद उप अधीक्षक, उत्पाद निरीक्षक और ऐसे अन्य पदाधिकारी को जिसे इस अधिनियम के अधीन कार्य निष्पादित करने के प्रयोजन के लिए वह उचित समझे, उत्पाद पदाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त कर सकेगी।

7. शक्तियों का प्रत्यायोजन और वापसी।—

- (1) राज्य सरकार, बोर्ड अथवा उत्पाद आयुक्त अथवा कलक्टर को उन सीमाओं और शर्तों के अधीन, जो प्रत्यायोजन आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अपनी शक्तियाँ प्रत्यायोजित कर सकेगी।
- (2) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, इस प्रकार प्रत्यायोजित कोई अथवा सभी शक्तियाँ किसी पदाधिकारी से वापस भी ले सकेगी।

8. कलक्टर की भूमिका।—

- (1) जिला का कलक्टर अपनी अधिकारिता वाले क्षेत्र में पूर्ण मद्य निषेध और इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पूर्ण मद्यनिषेध लागू करने और इस अधिनियम के प्रबंध को भी सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (2) कलक्टर इस अधिनियम के अधीन दायर मामलों के प्रभावी अभियोजन से संबंधित सभी मामलों के लिये भी उत्तरदायी होगा।
- (3) कलक्टर इस अधिनियम के अधीन उत्पाद पदाधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु भी सक्षम होगा।

- (4) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी पदाधिकारी जो उत्पाद विभाग के निरीक्षक से अन्यून न हो अथवा राजस्व विभाग के किसी पदाधिकारी को, जो उप समाहर्ता से अन्यून पंक्ति का न हो, ऐसे पदनाम, शक्ति और कर्तव्य के साथ, जो वह उचित समझे कलक्टर की शक्तियाँ प्रदान कर सकेगी।

9. पुलिस अधीक्षक की भूमिका। – पुलिस अधीक्षक–

- (क) अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पूर्ण मद्यनिषेध सुनिश्चित करने में कलक्टर को सहायता करेगा।
 (ख) कलक्टर के प्रत्यक्ष नियंत्रण एवं अधीक्षण में कार्य करेगा।
 (ग) आयुक्त उत्पाद या कलक्टर का अधिनियम के अधीन निर्गत कानूनी निर्देश को कार्यान्वित और लागू करेगा।
 (घ) कलक्टर या उत्पाद आयुक्त, जैसा चाहे वैसी रीति से वैसा प्रतिवेदन देगा।

10. उत्पाद आयुक्त की शक्तियाँ और कृत्य। –उत्पाद आयुक्त–

- (क) राज्य में इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पूर्ण मद्यनिषेध लागू करेगा;
 (ख) मद्यपान नहीं करने की संस्कृति को बढ़ावा देगा और सामाजिक जागरूकता के माध्यम से मद्य निषेध को स्वेच्छिक प्रयास बनाएगा;
 (ग) मादक द्रव्य के विनिर्माण, कब्जा, आयात, निर्यात एवं परिवहन को विनियमित, नियंत्रित, मॉनीटर करेगा;
 (घ) शराब के अवैध व्यापार और निषिद्ध आसवन को रोकेंगे;
 (ङ) उत्पाद राजस्व का संरक्षण करेगा और तुरत वसूली सुनिश्चित करेगा;
 (च) उत्पाद से संबंधित सभी विषयों पर राज्य सरकार को इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा यथापेक्षित विवरण (रिटर्न) और सूचना प्रस्तुत करेगा;
 (छ) ऐसे कृत्यों का अनुपालन और ऐसी अन्य शक्तियाँ का प्रयोग करेगा, जो समय-समय पर उसे सौंपे जायें अथवा प्रत्यायोजित किये जायें।

11. उत्पाद आसूचना ब्यूरो। –

- (1) उत्पाद आयुक्त की अध्यक्षता में उत्पाद आसूचना ब्यूरो होगा जिसमें उतनी संख्या में उत्पाद पदाधिकारी और स्टाफ होंगे जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाय और उतनी संख्या में अन्य पदाधिकारी और स्टाफ होंगे, जिन्हें राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, उत्पाद आयुक्त द्वारा नियुक्त किया जाय।
 (2) उत्पाद आसूचना ब्यूरो–
 (क) शराब और मादक द्रव्य का पूर्णनिषेध (मद्यनिषेध) की सफलता हेतु कार्य करेगा;
 (ख) आसूचना संगृहीत करेगा और उत्पाद अपराधों की निगरानी और अपराधों का संधारण करेगा;
 (ग) प्रमुख उत्पाद अपराधियों और अपराधिक रिकार्ड वाले व्यक्ति से संबंधित सूचना का संग्रह करेगा और उसे प्रसारित करेगा;
 (घ) इस अधिनियम के अधीन अपराधों का पता लगाएगा, मॉनीटर करेगा, अन्वेषण करेगा और विचारण करेगा।

12. विशेष शक्तियाँ से युक्त व्यक्ति।—राज्य सरकार, मद्यनिषेध की व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए, अधिसूचना द्वारा, किसी सरकारी अधिकारी को, जो उत्पाद पदाधिकारी नहीं है, इस अधिनियम के अधीन किसी उत्पाद पदाधिकारी के सभी अथवा कोई कार्य करने के लिए सशक्त कर सकेगी और ऐसा व्यक्ति इन कार्यों को करते समय उत्पाद पदाधिकारी समझा जाएगा।

अध्याय III

मादक द्रव्यों आदि का निषेध

13. शराब अथवा मादक द्रव्यों पर निषेध।—(1) कोई व्यक्ति किसी मादक द्रव्य अथवा शराब का विनिर्माण, बोतलबंदी, वितरण, वहन, संग्रह, भंडारण, कब्जा, खरीद, बिक्री अथवा उपभोग नहीं करेगा;

परन्तु राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, अधिसूचना द्वारा, किसी शराब अथवा मादक द्रव्यों को बनाने, समिश्रित करने, मिश्रण करने, बोतलबंदी करने, भंडारित करने, आयात करने और निर्यात करने के मौजूदा अनुज्ञप्ति को नवीकृत करने की अनुमति दे सकेगी;

परन्तु यह और कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, राज्य के स्वामित्व वाले किसी कंपनी को ऐसे कार्य कलाप की अनुमति दे सकेगी जो इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित हो।

स्पष्टीकरण—“मौजूदा अनुज्ञप्ति” शब्दोंसे अभिप्रेत है, ऐसे व्यक्ति, फर्म आदि जो इस अधिनियम के लागू होने के दिन वैध अनुज्ञप्ति धारण करते हों।

14. मादक द्रव्यों आदि का संचलन। –

- (1) विधिमाम्य परमिट के सिवाय और संदेय ऐसे शुल्क (यदि कोई हो) के अधीन, कोई शराब, मादक द्रव्य अथवा अंतिम उत्पाद राज्य में न तो लायी जायेगी, न राज्य से बाहर ले जायी जायेगी अथवा राज्य के अन्दर न तो ढोया जाएगा या न पारगमन किया जाएगा:

- (2) यदि शराब या मादक द्रव्यों के किसी परेषण को बिहार राज्य के बाहर से किसी दूसरे स्थान पर सड़क से ले जाया जा रहा हो और परेषण को ढोने वाला वाहन, राज्य के राज्य क्षेत्र से गुजरता हो तो चालक या वाहन का प्रभारी कोई अन्य व्यक्ति राज्य में प्रवेश के बाद मार्ग में पड़ने वाले पहले चेक-पोस्ट के प्राधिकारी से विहित रीति से पारगमन की अनुमति प्राप्त करेगा और राज्य को छोड़ने के पहले अंतिम चेक-पोस्ट के प्राधिकारी को पारगमन अनुमति अभ्यर्जित करेगा और मार्ग में पड़ने वाले पहले चेक-पोस्ट छोड़ने के नियत समय के भीतर ऐसा करने में विफल रहने पर समझा जायेगा कि इस प्रकार वाहित शराब या मादक द्रव्य, वाहन के मालिक अथवा वाहन के प्रभारी व्यक्ति द्वारा बिहार राज्य में बेच दिया गया है अथवा व्ययनित कर दिया गया है।
- (3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट चालक अथवा व्यक्ति यदि उपधारा (2) के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहता है तो उससे राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित शास्ति उद्गृहीत की जा सकेगी तथा वह अधिनियम की धारा-30 के अधीन अभियोजित भी किया जा सकेगा।
- (4) राज्य सरकार इस प्रयोजनार्थ विस्तृत नियम बना सकेगी।

15. मादक द्रव्य आदि ढोने वाले वाहनों पर प्रतिबंध।—राज्य सरकार किसी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं अथवा अंतिम उत्पादों को ढोनेवाले वाहनों पर समुचित प्रतिबंध लगा सकेगी और कुछ विनिर्देशों का पालन करने के लिए उनसे अपेक्षा कर सकेगी:

परन्तु राज्य सरकार परिवहन यानों में ऐसे यंत्र लगाने की अपेक्षा कर सकेगी जो मोटर वाहन अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए पूर्व शर्त के रूप में अपेक्षित हो और राज्य परिवहन प्राधिकारी को ऐसे निदेश दे सकेगी जो वह उचित समझे।

16. मादक द्रव्यों के परिवहन को विनियमित करने हेतु शक्ति।—इस अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी अथवा सभी शराब अथवा मादक द्रव्यों को राज्य अथवा राज्य के किसी विनिर्दिष्ट भाग अथवा क्षेत्र में आयात अथवा से निर्यात अथवा से होकर संचलन को विनियमित कर सकेगी।

अध्याय IV

मौजूदा अनुज्ञाधारियों की अनुज्ञप्ति और परमिट का नवीकरण

17. आसवनी, मद्यनिर्माणशाला, आदि की अनुज्ञप्ति का नवीकरण।—(1) किसी विनिर्माणशाला, आसवनी, शीरा कारखाना, मद्यनिर्माणशाला, बॉटलिंग प्लांट, की नई अनुज्ञप्ति निर्गत नहीं की जायेगी;

परन्तु कलक्टर केवल उन मादक द्रव्यों का जो इस अधिनियम की धारा-3 में राज्य सरकार द्वारा इस रूप में घोषित है, अनुज्ञप्ति अथवा परमिट जैसा हो निर्गत कर सकेगा।

- (2) कलक्टर किसी विनिर्माणशाला, आसवनी, शीरा कारखाना, मद्यनिर्माणशाला, बॉटलिंग प्लांट के मौजूदा अनुज्ञप्ति को इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्वधीन नवीकृत अथवा परमिट निर्गत, जैसा हो कर सकेगा।
- (3) राज्य सरकार अनुज्ञापन व्यवस्था को शासित करने के लिए विस्तृत नियम बना सकेगी।
- (4) अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्तिधारी से अनुज्ञप्ति के निबंधन एवं शर्तों के अनुपालन के लिए प्रतिभूति देने और उसपर हुए करार का निष्पादन करने हेतु अपेक्षा कर सकेगा।

स्पष्टीकरण—मौजूदा अनुज्ञप्ति से अभिप्रेत है, व्यक्ति, फर्म आदि जो इस अधिनियम को लागू होने के दिन वैध अनुज्ञप्ति धारण करते हों।

18. अनुज्ञप्तियों एवं परमितों की अनंतरणीयता।—इस अधिनियम के अधीन निर्गत सभी अनुज्ञप्तियाँ एवं परमित अनंतरणीय होंगे।

19. बोर्ड की शक्ति।—राजस्व पर्षद (बोर्ड) को ऐसे प्राधिकार के प्रयोग की शक्ति होगी जो राज्य सरकार द्वारा उसे प्रत्यायोजित की जाय।

20. अनुज्ञप्ति को स्वीकृत करने हेतु अर्हताएँ।—अनुज्ञप्ति के लिए आवेदक को—

- (क) भारत का नागरिक होना चाहिए अथवा भारत में कोई कंपनी रजिस्ट्रीकृत होनी चाहिए ;
- (ख) व्यक्तिक्रमी अथवा काली सूची में डाला हुआ अथवा उत्पाद अनुज्ञप्ति धारण करने से वर्जित किया हुआ नहीं होना चाहिए या उसपर सरकार का बकाया शेष नहीं होना चाहिए;
- (ग) शोधनक्षम और अच्छे नैतिक आचरण रखनेवाला होना चाहिए तथा इस अधिनियम अथवा किसी अन्य अधिनियम के अधीन किसी अपराध में सिद्धदोष हुआ नहीं होना चाहिए;
- (घ) ऐसे व्यक्ति को किराये पर नहीं रखना चाहिए अथवा नियोजित नहीं करना चाहिए जो 21 वर्ष से कम आयु के हों अथवा जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि हो।

21. होलोग्राम।—

- (1) राज्य सरकार किसी शीरा कारखाना, आसवनी, अनुज्ञप्तिधारी, वितरक, विक्रेता, आयातक, निर्यातक, बॉटलिंग प्लांट अथवा ऐसी अन्य स्थापनाओं से, जो इस अधिनियम के अधीन कार्य करते हैं, अपेक्षा करेगी कि वे अपने उत्पादों पर उत्पाद आयुक्त द्वारा विहित विनिर्देशों के अनुसार होलोग्राम लगायें।

(2) राज्य सरकार इस संबंध में विस्तृत नियम बना सकेगी।

22. अनुज्ञप्ति और परमिट स्थगित करने अथवा रद्द करने की शक्ति। —

(1) ऐसे प्रतिबंध जो राज्य सरकार विहित करे, के अधीन इस अधिनियम के अधीन किसी अनुज्ञप्ति का नवीकरण, अथवा परमिट निर्गत करनेवाला कोई प्राधिकारी, निम्नलिखित परिस्थितियों में सुने जाने का समुचित अवसर देने के पश्चात्, इसे स्थगित अथवा रद्द कर सकेगा:—

- (क) यदि अनुज्ञप्ति अथवा परमिट, अनुज्ञापन प्राधिकारी के अनुमति के बिना उसके धारक द्वारा अंतरित किया जाय अथवा शिकमी (सबलेट) पर दिया गया हो;
- (ख) यदि उसके धारक द्वारा संदेय उत्पाद राजस्व को सम्यक् रूप से संदत्त नहीं किया गया हो;
- (ग) यदि ऐसी अनुज्ञप्ति अथवा परमिट के धारक अथवा उसके सेवक या अभिकर्ता अथवा उसकी ओर से कार्य करनेवाला कोई व्यक्ति उसकी अभिव्यक्त या विवक्षित अनुमति से ऐसी अनुज्ञप्ति अथवा परमिट के निबंधन और शर्तों को भंग करे;
- (घ) यदि अनुज्ञप्ति अथवा परमिट का धारक अथवा उसका अभिकर्ता अथवा कर्मचारी इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि जो उत्पाद राजस्व से संबंधित विषयों से जुड़ा हो के अधीन किसी दंडनीय अपराध अथवा किसी अन्य सुसंगत विधि के अधीन किसी संज्ञेय और गैर संज्ञेय अपराध में सिद्धदोष हो;
- (ङ) यदि जिस प्रयोजन से अनुज्ञप्ति अथवा परमिट दिया गया था वह अस्तित्वहीन हो जाय;
- (च) यदि अनुज्ञप्ति अथवा परमिट, दुर्व्यपदेशन अथवा कपट के माध्यम से प्राप्त किया गया हो;
- (छ) यदि किसी अन्य कारण से अनुज्ञापन प्राधिकारी का प्रथम दृष्ट्या समाधान हो जाय कि अनुज्ञप्ति, रद्द करने के लिए उपयुक्त है।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई कार्रवाई करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी किसी प्रकार के प्रतिकर का पात्र नहीं होगा।

23. नवीकरण के अधिकार तथा प्रतिकर का वर्जन।—कोई व्यक्ति जिसे अनुज्ञप्ति अथवा परमिट स्वीकृत किया गया है, अधिकारस्वरूप उसके नवीकरण का हकदार नहीं होगा और अनुज्ञप्ति अथवा परमिट के प्रवृत्त रहनेकी अवधि की समाप्ति पर नवीकरण करने से इनकार किए जाने के कारण नुकसान अथवा अन्यथा प्रतिकर का दावा नहीं होगा।

24. अनुज्ञप्ति को वापस लेने तथा नवीकरण नहीं करने की राज्य सरकार की शक्ति।—

- (1) राज्य सरकार किसी समय सम्पूर्ण बिहार राज्य अथवा उसके किसी हिस्से में किसी कारखाना, आसवनी, शीरा कारखाना, मद्य विनिर्माणशाला (ब्रिवरी), बॉटलिंग प्लांट, को निर्गत अनुज्ञप्ति को या तो वापस लेने या नवीकरण नहीं करने का निर्णय ले सकेगी।
- (2) उपधारा (1) के अधीन की गई किसी कार्रवाई के परिणाम स्वरूप अग्रिम के रूप में संदर्भ किसी अनुज्ञप्ति फीस अथवा जमा में से सरकार द्वारा वसूलनीय किसी रकम को घटाने के बाद शेष के सिवाय कुछ भी भुगतान नहीं किया जाएगा।

25. प्रबंध ग्रहण करने हेतु कलक्टर की शक्ति।—यदि इस अधिनियम के अधीन नवीकृत अनुज्ञप्ति का धारक, अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है अथवा उसपर लगाई गई किसी शर्त के अनुपालन में चूक करता है अथवा इस अधिनियम के अधीन कलक्टर द्वारा निर्गत समुचित निर्देशों का अनुपालन करने से इनकार करता है अथवा उसकी अनुज्ञप्ति की समाप्ति अथवा अनुज्ञप्ति की वापसी पर कलक्टर किसी भी समय, ऐसी अनुज्ञप्ति अथवा विशेषाधिकार को रद्द किये बिना —

- (क) उस स्थापना के स्वामी के जोखिम और हानि पर, ऐसी स्थापना का प्रबंध ग्रहण कर सकेगा; अथवा
- (ख) स्वामी के जोखिम और हानि पर, अनुज्ञप्ति या विशेषाधिकार की असमाप्त अवधि के लिए स्थापना का अंतरण किसी अन्य व्यक्ति को कर सकेगा।

अध्याय V

उत्पाद राजस्व

26. उत्पाद राजस्व की प्रकृति और घटक। —उत्पाद राजस्व निम्नलिखित शीर्षों के अधीन उद्गृहीत और वसूल किया जाएगा यथा:—

- (क) शुल्क;
- (ख) अनुज्ञप्ति फीस;
- (ग) लेबल रजिस्ट्रीकरण फीस;आयात अथवा निर्यात अथवा परिवहन अथवा संचलन फीस।
- (घ) विशेषाधिकार फीस, जुर्माना, शास्ति और अन्य विविध प्राप्तियाँ आदिके माध्यम से प्रोद्भवन्, और
- (ङ) अन्य कोई शुल्क, सेस, फीस अथवा अधिभार जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, अधिरोपित करे।

27. निबंधन, शर्तों के लिए फीस और अनुज्ञप्ति, परमिट और पास का प्रपत्र और अवधि।—

- (1) इस अधिनियम के अधीन नवीकृत हरेक अनुज्ञप्ति, अथवा स्वीकृत हरेक परमिट/पास
 - (क) नवीकृत अथवा स्वीकृत किया जाएगा —
 - (i) ऐसी फीस (यदि कोई हो) के भुगतान पर, और
 - (ii) ऐसे प्रतिबंधों और ऐसी शर्तों के अधीन, और
 - (ख) ऐसे प्रपत्र में और उन विशिष्टियों को अंतर्विष्ट करते हुए, जो नियम उपबंधित करे।
- (2) इस अधिनियम के अधीन नवीकृत प्रत्येक अनुज्ञप्ति अथवा स्वीकृत हरेक परमिट अथवा पास उस अवधि के लिए (यदि कोई हो)होगा जो इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम द्वारा विहित हो।

28. किसी रिट याचिका, वाद, आदि के लंबित रहने का विचार किए बिना उत्पाद राजस्व संदत्त किया जाना। —इस बात के होते हुए भी कि किसी न्यायालय में रिट याचिका दायर की गयी है अथवा वाद या अन्य कार्यवाही संस्थित की गयी है अथवा किसी न्यायाधिकरण या उत्पाद आयुक्त के समक्ष अपील दाखिल की गई है अथवा राज्य सरकार के समक्ष पुनरीक्षण दाखिल किया गया है, इस अधिनियम के द्वारा अथवा अधीन किसी पदाधिकारी अथवा इस निमित्त सशक्त प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश अथवा की गई मांग के परिणामस्वरूप, इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार को देय राशि, उस आदेश अथवा मांग के अनुसार संदेय होगा जबतक कि सक्षम प्राधिकारी अथवा न्यायालय द्वारा ऐसे संदाय पर रोक नहीं लगा दिया जाय।

29. आयात, निर्यात, परिवहन अथवा विनिर्माण पर शुल्क अधिरोपित करने की शक्ति।—(1) यथास्थिति उत्पाद शुल्क अथवा प्रतिशुल्क अथवा कोई अन्य शुल्क अथवा फीस, ऐसी दर अथवा दरों पर, जिसे राज्य सरकार निदेशित करे निम्नलिखित पर या तो सामान्य रूप से या किसी विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र में अधिरोपित की जा सकेगी :—

- (क) कोई उत्पादशुल्क योग्य आयातित वस्तु, अथवा
- (ख) कोई उत्पादशुल्क योग्य निर्यातित वस्तु, अथवा
- (ग) कोई उत्पादशुल्क योग्य वाहित वस्तु, अथवा
- (घ) इस अधिनियम के अधीन निर्गत अथवा नवीकृत अनुज्ञप्ति के अधीन उत्पादशुल्क योग्य विनिर्मित वस्तु, अथवा
- (ङ.) इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्त, स्थापित, प्राधिकृत अथवा लगातार चल रहे किसी आसवनी (डिस्टिलरी) अथवा मद्यनिर्माणशाला (बूअरि) में कोई उत्पादशुल्क योग्य विनिर्मित वस्तु।

स्पष्टीकरण। —

- (1) इस उपधारा के अधीन किसी वस्तु पर ऐसे स्थान, जहाँ से ऐसी वस्तु उपभोग के लिए हटायी जानी हो, के अनुसार अथवा ऐसी वस्तु की परिवर्तित शक्ति और गुणवत्ता के अनुसार विभिन्न दरों से शुल्क अधिरोपित की जा सकेगी।
- (2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन, किसी मादक द्रव्य पर या तो सामान्य रूप से या किसी विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र में कोई शुल्क ऐसी दर अथवा दरों पर अधिरोपित की जा सकेगी जैसा कि राज्य सरकार निदेश दे।

अध्याय VI

अपराध और शास्ति

30. अवैध आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण, कब्जा, विक्रय, आदि पर शास्ति।—जो कोई, इस अधिनियम अथवा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम अथवा आदेश अथवा निर्गत अधिसूचना के उपबंध के उल्लंघन में अथवा इस अधिनियम के अधीन नवीकृत किसी अनुज्ञप्ति अथवा परमिट अथवा पास के किसी शर्त के उल्लंघन में अथवा इस अधिनियम के अधीन निर्गत विधिमान्य अनुज्ञप्ति, परमिट अथवा पास के बिना —

- (क) किसी मादक द्रव्य अथवा शराब का विनिर्माण, कब्जा, क्रय विक्रय, वितरण, संग्रहण बोटलबंद, आयात, निर्यात, परिवहन करता है अथवा दूर हटाता है; अथवा
- (ख) किसी भांग/गाँजा के पौधे को उपजाता है; अथवा
- (ग) किसी कारखाना, आसवनी, मद्यनिर्माणशाला अथवा भांडागार का निर्माण करता है अथवा स्थापना करता है अथवा कार्य करता है; अथवा
- (घ) किसी मादक द्रव्य अथवा शराब बनाने के प्रयोजनार्थ किसी प्रकार की कोई वस्तु, स्टिल, बरतन, उपकरण अथवा यंत्र अथवा परिसर का उपयोग करता है, रखता है अथवा अपने कब्जे में रखता है; अथवा

स्पष्टीकरण —“सामग्री” शब्द से अभिप्रेत है कोई सामग्री और इसमें शामिल है कोई खाद्य या अखाद्य पदार्थ जो शराब अथवा मादक द्रव्य बनाने के लिये प्रयुक्त की जाती हो।

- (ङ) राज्य सरकार के लोगो(प्रतीक चिह्न) अथवा किसी राज्य के लोगो के साथ अथवा बिना, कोई सामग्री या फिल्म रखता है अथवा रैपर या कोई अन्य चीज जिसमें शराब या मादक द्रव्य पैक की जा सकती हो, रखता है अथवा किसी शराब या मादक द्रव्य को पैक करने के प्रयोजनार्थ कोई यंत्र अथवा उपकरण रखता है; अथवा
- (च) इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्त, स्थापित, प्राधिकृत अथवा लगातार चालू किसी आसवनी, मद्यनिर्माणशाला, भांडागार, भंडारण के अन्य स्थान से कोई शराब अथवा मादक द्रव्य हटाता है; अथवा
- (छ) किसी मादक द्रव्य अथवा शराब के साथ अथवा उसके बिना बनी कोई निर्मिति, अथवा घटक जो ऐल्कोहॉल अथवा उसके प्रतिस्थानी के रूप में कार्य करे और जिसका उपयोग अथवा संभावित उपयोग अथवा उपभोग नशा उत्पन्न करने के प्रयोजन से किया जाता हो, का विनिर्माण, कब्जा, विक्रय, वितरण, बोटलबंद, आयात, निर्यात, परिवहन करता है अथवा दूर ले जाता है;

कम से कम दस वर्षों के कारावास से, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकेगा और जुर्माने से, जो कम से कम एक लाख रुपये होगा, जिसे दस लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा, दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण — यहाँ “कब्जा” से अभिप्रेत है किसी परिवार अथवा उस परिवार के किसी सदस्य द्वारा कब्जा और इसमें कब्जा की जानकारी शामिल है जहाँ परिवार का कोई सदस्य अथवा स्वयं परिवार ही जानता है कि ऐसा कब्जा अवैध है चाहे यह उसके अपने अथवा परिवार के दूसरे सदस्य के कब्जे में हो।

31. कंपनियों द्वारा अपराध करना।—

- (1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करनेवाला कोई व्यक्ति कंपनी हो तो अपराध करने के समय अपने कार्य संचालन के लिए कंपनी के साथ-साथ कंपनी का प्रभारी और उत्तरदायी हरेक व्यक्ति अपराध का दोषी समझा जाएगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा;

परन्तु जहाँ कंपनी की भिन्न-भिन्न स्थापना अथवा शाखाएँ अथवा किसी स्थापना अथवा शाखा में विभिन्न इकाईयाँ हों तो अपराध करते समय अपने कार्य संचालन के लिए उत्तरदायी सम्बद्ध मुख्य कार्यपालक और कंपनी द्वारा नामित ऐसी स्थापना, शाखा, इकाई का प्रभारी व्यक्ति ऐसी स्थापना, शाखा अथवा इकाई की बाबत उल्लंघन का भागी होगा;

परन्तु यह और कि इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को किसी दंड का भागी नहीं बना देगा यदि वह प्रमाणित करता है कि अपराध बिना उसकी जानकारी में हुआ था अथवा ऐसे अपराध को करने से रोकने के लिए उसने सभी सम्यक् तत्परता का प्रयोग किया था।

- (2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ इस अधिनियम के अधीन कंपनी द्वारा कोई अपराध किया जाता है और यह प्रमाणित हो जाता है कि अपराध किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव अथवा अन्य पदाधिकारी की सहमति से अथवा मिलीभगत से अथवा उनकी ओर से उपेक्षा के कारण से, हुआ माना जा सकता है तो ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव अथवा अन्य पदाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा।
- (3) यह धारा उन कंपनियों पर लागू नहीं होगी, जहाँ केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिकांश शेयर धारण किया जाता हो अथवा उन कंपनियों पर जिन्हें बोर्ड छूट प्रदान करे।

स्पष्टीकरण — इस धारा के प्रयोजनार्थ “कंपनी” से अभिप्रेत है कोई निगमित निकाय और इसमें कोई फर्म अथवा व्यष्टि—संगम शामिल है; तथा फर्म के संबंध में “निदेशक” से अभिप्रेत है फर्म में भागीदार।

32. कुछ मामलों में अपराध करने के बारे में अनुमान। —

- (1) इस अधिनियम के किसी सुसंगत उपबंध के अधीन अभियोजन में जबतक कि विपरीत बातें प्रमाणित न हो जाय यह अनुमान किया जाएगा कि अपराधी ने किसी शराब, मादक द्रव्य, पदार्थ, स्टिल, बरतन, उपकरण अथवा यंत्र, जिन्हें रखने के लिए वह संतोषजनक विवरण देने में असमर्थ है, की वाबत उस धारा के अधीन दंडनीय अपराध किया है।
- (2) जहाँ इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को करने में किसी उपकरण, सयंत्र पशु, जलयान, गाड़ी अथवा अन्य वाहन परिवहन प्रयुक्त हो, जो अधिहरण/अथवा सीलबंद किए जाने के भागी हो, तो उसका स्वामी अथवा अधिभोगी ऐसे अपराध का दोषी समझा जाएगा और ऐसे स्वामी अथवा अधिभोगी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा जबतक इसका समाधान न हो जाय कि अपराध उसकी जानकारी के बिना हुआ था या अथवा ऐसे अपराध को करने से रोकने के लिए उसने सम्यक् सावधानी बरती थी।
- (3) जहाँ कोई अपराध किसी परिवार द्वारा दखल किए गए स्थान अथवा परिसर अथवा मकान में कोई मादक द्रव्य अथवा शराब पाया जाता है, उपभोग किया जाता है, बनाया जाता है, बिक्री की जाती है अथवा वितरण किया जाता है अथवा परिवार द्वारा अधिभोग कर रहे मकान में कोई मादक द्रव्य अथवा शराब पाया जाता है या उपभोग किया जाता है, कथित रूप से हुआ हो तो यह अनुमान किया जाएगा कि 18 वर्ष से अधिक आयु वाले परिवार के सभी सदस्य जो स्थान अथवा परिसर का अधिभोग कर रहे हैं अथवा रह रहे हैं, को ऐसे अपराध करने की जानकारी है, जबतक कि अन्यथा प्रमाणित न हो।

33. विकृत स्पिरिट को मानव उपभोग के लिए बना देने हेतु शास्ति।—जो कोई मानव उपभोग के योग्य बनाने के इरादे से विकृत स्पिरिट को परिवर्तित करता है अथवा परिवर्तित करने का प्रयास करता है चाहे पेय पदार्थ के रूप में हो अथवा औषधि के रूप में अथवा किसी अन्य रूप में और किसी अन्य पद्धति से अथवा अपने पास कोई स्पिरिट रखता है, जिसके संबंध में उसे जानकारी है अथवा विश्वास करने का कारण है कि ऐसा प्रयास किया गया है तो वह कम से कम दस वर्षों के कारावास, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकेगा तथा जुर्माने से, जो कम से कम एक लाख रुपये होगा और जिसे बढ़ाकर दस लाख रुपये किया जा सकेगा, दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण। —

“कब्जा” से यहाँ अभिप्रेत है परिवार अथवा उस परिवार के सदस्य द्वारा कब्जा और उसमें शामिल है कब्जा की जानकारी, जहाँ परिवार का कोई सदस्य अथवा स्वयं परिवार यह जानता है कि ऐसा कब्जा अवैध है चाहे यह उसके अपने कब्जा में है अथवा परिवार के किसी दूसरे सदस्य के।

34. शराब के साथ हानिकर पदार्थ मिलाने हेतु शास्ति।—जो कोई—

- (क) किसी शराब में कोई हानिकर औषधि अथवा कोई विजातीय अवयव मिलाता है अथवा मिलाने की अनुमति देता है अथवा बिक्री करता है या निर्माण करता है अथवा अपने पास रखता है; अथवा
 - (ख) किसी निर्मिति को बनाता है, बिक्री करता है अथवा रखता है चाहे ठोस, अर्द्धठोस, द्रव, अर्द्धद्रव अथवा गैसीय हो, या तो स्थानीय रूप से बना हो अथवा अन्यथा, जो ऐल्कोहॉल के रूप में अथवा ऐल्कोहॉल के प्रतिस्थानी के रूप में कार्य कर सके और नशा उत्पन्न करने के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त हो अथवा उपभुक्त हो;
- जिससे मनुष्य में विकलांगता अथवा गंभीर क्षति अथवा मृत्यु की संभावना हो तो वह निम्न रूप से दंडनीय होगा:
- (i) यदि ऐसे कार्य के परिणामस्वरूप मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु अथवा आजीवन कारावास से और जुर्माने से जो कम से कम पाँच लाख रुपये होगा, जिसे बढ़ाकर दस लाख रुपये तक किया जा सकेगा;
 - (ii) यदि ऐसे कार्य के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को विकलांगता अथवा गंभीर क्षति होती है तो कम से कम दस वर्षों के कठोर कारावास से जिसे बढ़ाकर आजीवन कारावास किया जा सकेगा और जुर्माने से जो कम से कम दो लाख रुपये होगा जिसे बढ़ाकर दस लाख रुपये तक किया जा सकेगा;
 - (iii) यदि ऐसे कार्य के फलस्वरूप किसी व्यक्ति को कोई अन्य पारिणामिक चोट पहुँचती है तो कम से कम आठ वर्षों के कारावास से जिसे बढ़ाकर आजीवन कारावास किया जा सकेगा और जुर्माने से जो कम से कम एक लाख रुपये होगा जिसे बढ़ाकर दस लाख रुपये तक किया जा सकेगा;
 - (iv) यदि ऐसे कार्य से कोई क्षति नहीं होती है तो कम से कम आठ वर्षों के कारावास से जिसे बढ़ाकर दस वर्षों तक किया जा सकेगा और जुर्माने से जो कम से कम एक लाख रुपये होगा, जिसे बढ़ाकर पाँच लाख रुपये तक किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण—

- (1) इस धारा के प्रयोजनार्थ “गंभीर क्षति” पद का वही अर्थ होगा जो भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का XLV) की धारा-320 में है।
- (2) “कब्जा” से यहाँ अभिप्रेत है किसी परिवार अथवा उस परिवार के सदस्य द्वारा कब्जा और उसमें शामिल है कब्जा की जानकारी, जहाँ परिवार का कोई सदस्य अथवा स्वयं परिवार यह जानता है कि ऐसा कब्जा अवैध है चाहे यह उसके अपने कब्जा में है अथवा परिवार के किसी दूसरे सदस्य के।

35. कपट करने के लिए शास्ति।—जो कोई—

- (क) किसी शराब को भारत में आयातित विदेशी शराब के रूप में बिक्री करता है अथवा रखता है अथवा बिक्री के लिए प्रदर्शित करता है जिसे वह जानता है अथवा विश्वास करने का कारण है कि यह भारत में बनी विदेशी शराब अथवा देशी शराब है; अथवा
- (ख) किसी शराब को भारत में बनी विदेशी शराब के रूप में बिक्री करता है अथवा रखता है अथवा बिक्री के लिए प्रदर्शित करता है जिसे वह जानता है अथवा विश्वास करने का कारण है कि यह देशी शराब है; अथवा
- (ग) देशी शराब अथवा भारत में बनी विदेशी शराब से युक्त बोतल, केस, पैकेज अथवा अन्य पात्र अथवा ऐसे किसी बोतल के कॉर्क पर लेबल लगाता है अथवा देशी शराब अथवा भारत में बनी विदेशी शराब से युक्त किसी बोतल, केस, पैकेज या ऐसे अन्य पात्र का व्यवहार करता है अथवा देशी शराब अथवा भारत में बनी विदेशी शराब से युक्त किसी बोतल, केस, पैकेज या अन्य पात्र का व्यवहार यह विश्वास कराने के इरादे से करता है कि ऐसे बोतल, केस, पैकेज अथवा अन्य पात्र में विदेशी शराब है; अथवा
- (घ) देशी शराब से युक्त किसी बोतल, केस, पैकेज अथवा अन्य पात्र अथवा ऐसे बोतल के कॉर्क पर लेबल लगाता है अथवा देशी शराब युक्त किसी बोतल, केस, पैकेज अथवा ऐसे अन्य पात्र का व्यवहार करता है अथवा देशी शराब युक्त किसी बोतल, केस, पैकेज अथवा पात्र का व्यवहार यह विश्वास कराने के इरादे से करता है कि ऐसे बोतल, केस, पैकेज अथवा अन्य पात्र में भारत में बनी विदेशी शराब है; अथवा
- (ङ) शराब को वैसा दिखाने जो वह नहीं है के उद्देश्य से किसी साधन का प्रयोग करते हुए किसी उपभोक्ता या क्रेता को धोखा देने के लिए किसी शराब अथवा शराब की बोतल छद्मावरण से छिपाता है अथवा छद्मावरण से छिपाने का प्रयास करता है।

वह कारावास से, जो कम से कम दस वर्षों का होगा, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकेगा तथा जुर्माने से, जो कम से कम एक लाख रुपये होगा, जिसे दस लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा, दंडनीय होगा।

36. नकली शराब का कारबार करने के लिए शास्ति।—जो कोई किसी नकली शराब का विनिर्माण, कब्जा, बिक्री, वितरण, बोतलबंद, आयात, निर्यात अथवा परिवहन करता है, वह कारावास से, जो कम से कम दस वर्षों का होगा, जिसे बढ़ाकर आजीवन कारावास तक किया जा सकेगा और जुर्माने से, जो कम से कम एक लाख रुपये होगा, जिसे बढ़ाकर दस लाख रुपये तक किया जा सकेगा, दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण। —

“कब्जा” से यहाँ अभिप्रेत है किसी परिवार अथवा उस परिवार के सदस्य द्वारा कब्जा और उसमें शामिल है कब्जा की जानकारी, जहाँ परिवार का कोई सदस्य अथवा स्वयं परिवार यह जानता है कि ऐसा कब्जा अवैध है चाहे यह उसके अपने कब्जा में है अथवा परिवार के किसी दूसरे सदस्य के।

37. शराब का उपभोग करने के लिए शास्ति।—जो कोई इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों, अधिसूचना अथवा आदेश के उल्लंघन में—

- (क) किसी स्थान में शराब अथवा मादक द्रव्य का उपभोग करता है; अथवा
 - (ख) किसी स्थान में नशे में अथवा मदहोश की अवस्था में पाया जाता है;
 - (ग) शराब पीकर और नशे की अवस्था में किसी स्थान पर उपद्रव अथवा हिंसा करता है जिसमें उसका अपना घर अथवा परिसर शामिल है; अथवा
 - (घ) नशे की अनुमति देता है अथवा सरल बनाता है या अपने स्वयं का घर अथवा परिसर में नशेड़ियों को जमा होने की अनुमति देता है।
- (1) खंड (क) और (ख) के अधीन आने वाले किसी अपराध की दशा में कम से कम पाँच वर्षों के कारावास, जिसे बढ़ाकर सात वर्षों तक किया जा सकेगा और जुर्माने, जो कम से कम एक लाख रुपये होगा, जिसे बढ़ाकर दस लाख रुपये तक किया जा सकेगा, से दंडनीय होगा;
 - (2) खंड (ग) और (घ) के अधीन आनेवाले किसी अपराध की दशा में कम से कम दस वर्षों के कारावास जिसे बढ़ाकर आजीवन कारावास तक किया जा सकेगा और जुर्माने जो कम से

कम एक लाख रुपये होगा, जिसे बढ़ाकर दस लाख रुपये तक किया जा सकेगा, से दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण क— “मादक द्रव्य का उपभोग” में किसी औषधि अथवा औषधि का कोई घटक अथवा औषधीय निर्मिति का उपभोग करना शामिल है।

स्पष्टीकरण ख— “नशे की अवस्था में पाया जाना” में किसी औषधि अथवा औषधीय निर्मिति के कारण नशा होना शामिल है।

38. मादक द्रव्य को कब्जा में रखने अथवा कब्जा में रखने की जानकारी के लिए शास्ति।—यदि कोई व्यक्ति—

- (1) किसी शराब अथवा मादक द्रव्य को बिना वैध प्राधिकार के अपने कब्जे में यह जानते हुए अथवा विश्वास करने का कारण होते हुए रखता है कि उसका आयात, वहन, विनिर्माण अवैध रूप से किया गया है अथवा यह जानते हुए अथवा विश्वास करने का कारण होते हुए रखता है कि उसपर विहित शुल्क संदत्त नहीं किया गया है; और
 - (2) अपने परिसरों अथवा ऐसे परिसर जिनका वह अधिभोग कर रहा है, में बिना वैध प्राधिकार के शराब अथवा मादक द्रव्य को कब्जे में रखने अथवा भंडारण करने की कोई जानकारी रखता है तथा यदि वह नजदीकी उत्पाद पदाधिकारी अथवा पुलिस पदाधिकारी को सूचित करने में असफल रहता है, तो;
- वह कारावास से, जो कम से कम आठ वर्षों का होगा, जिसे बढ़ाकर दस वर्षों तक किया जा सकेगा तथा जुर्माने से भी, जिसे बढ़ाकर दस लाख रुपये तक किया जा सकेगा, दंडनीय होगा और जुर्माने के भुगतान में चूक होने पर अतिरिक्त कारावास, जिसे बढ़ाकर एक वर्ष तक किया जा सकेगा, से दंडित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण:— “कब्जा” से यहाँ अभिप्रेत है किसी परिवार अथवा उस परिवार के सदस्य द्वारा कब्जा और इसके अंतर्गत कब्जा की जानकारी रखना है जहाँ परिवार का कोई सदस्य अथवा स्वयं परिवार यह जानता है कि ऐसा कब्जा अवैध है चाहे यह उसके स्वयं के अथवा परिवार के किसी दूसरे सदस्य के कब्जा में हो।

39. रसायनज्ञ (केमिस्ट) की दुकान में शराब के उपभोग के लिए शास्ति।—

- (1) यदि कोई रसायनज्ञ, औषधि-विक्रेता, भैषजिक अथवा औषधालय का रक्षक किसी व्यक्ति को अपने कारोबारी परिसर में किसी औषधि अथवा औषधीय निर्मिति जो राज्य सरकार द्वारा मादक द्रव्य घोषित है अथवा शराब अथवा मादक द्रव्य, जो औषधीय प्रयोजनों के लिए प्रामाणिक रूप से औषधीय गुणों से युक्त नहीं है, के उपभोग की अनुमति देता है तो वह कम से कम आठ वर्षों के कारावास, जिसे बढ़ाकर दस वर्षों तक किया जा सकेगा और जुर्माने, जो कम से कम एक लाख रुपये होगा, जिसे बढ़ाकर दस लाख रुपये तक किया जा सकेगा, से दंडनीय होगा।
- (2) यदि कोई व्यक्ति ऐसे परिसरों में ऐसी शराब अथवा मादक द्रव्य का उपभोग करता है तो वह कम से कम पाँच वर्षों के कारावास, जिसे बढ़ाकर सात वर्षों तक किया जा सकेगा तथा जुर्माने, जो कम से कम एक लाख रुपये होगा, जिसे बढ़ाकर दस लाख रुपये तक किया जा सकेगा, से दंडनीय होगा।

40. अवैध विज्ञापन के लिए शास्ति।—जो कोई किसी मीडिया में, जिसमें फिल्म एवं टेलीविजन शामिल है, अथवा किसी सामाजिक मंच से प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः किसी शराब अथवा मादक द्रव्य के प्रयोग की याचना करनेवाला कोई चीज मुद्रण करता है, प्रकाशित करता है अथवा विज्ञापन देता है तो वह कम से कम तीन वर्षों के कारावास से, जिसे बढ़ाकर पाँच वर्षों तक किया जा सकेगा अथवा जुर्माने से, जिसे बढ़ाकर दस लाख रुपये किया जा सकेगा अथवा दोनों से, दंडनीय होगा।

41. एक व्यक्ति द्वारा दूसरे के कारण आयात, निर्यात, विनिर्माण, परिवहन, विक्रय अथवा, कब्जा के लिए शास्ति।—

- (1) जहाँ एक व्यक्ति द्वारा दूसरे के कारण किसी मादक द्रव्य अथवा शराब का आयात, निर्यात, विनिर्माण, वहन अथवा विक्रय किया जाता है अथवा कब्जा में रखा जाता है और ऐसा दूसरा व्यक्ति जानता है अथवा उसे विश्वास करने का कारण है कि ऐसा आयात, निर्यात, विनिर्माण, वहन अथवा विक्रय उसके कारण किया गया था अथवा ऐसा कब्जा उसके कारण है तो इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ मादक द्रव्य अथवा शराब का आयात, निर्यात, वहन, विक्रय अथवा विनिर्माण अथवा कब्जा में रखना ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया समझा जाएगा जो कम से कम आठ वर्षों के कारावास से जिसे दस वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा और जुर्माने से जिसे दस लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा, दंडनीय होगा।
- (2) उपधारा (1) की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को, जो दूसरे व्यक्ति के कारण किसी मादक द्रव्य अथवा शराब का विनिर्माण, विक्रय करता है अथवा कब्जे में रखता है, इस अधिनियम के अधीन किसी दंड अथवा ऐसे मादक द्रव्य अथवा शराब के अवैध विनिर्माण, विक्रय अथवा कब्जा के दायित्व से मुक्त नहीं करेगा।

42. प्रतिकर का भुगतान करने हेतु कलक्टर द्वारा आदेश।—

- (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन कलक्टर द्वारा आदेश पारित करते समय यदि उसका समाधान हो जाता है कि किसी स्थान पर विक्रीत शराब के उपभोग के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु अथवा क्षति हुई है तो वह विनिर्माता और/अथवा विक्रेता, चाहे वह किसी अपराध में सिद्धदोष हुआ हो अथवा नहीं, प्रतिकर के रूप में प्रत्येक मृतक के विधिक प्रतिनिधि को कम से कम चार लाख रुपये अथवा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त व्यक्ति को दो लाख रुपये अथवा किसी अन्य पारिणामिक चोट खाने वाले व्यक्ति को बीस हजार रुपये भुगतान करने का आदेश देगा:
- (2) कलक्टर, लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 (बिहार और उड़ीसा अधिनियम IV, 1914) के अधीन "लोक मांग" के रूप में उक्त प्रतिकर वसूल कर सकेगा।
- (3) उप धारा (1) के अधीन किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील कर सकेगा:

परन्तु इस धारा के अधीन किसी आदेश के विरुद्ध आरोपी द्वारा तबतक अपील दाखिल नहीं की जा सकेगी जबतक उपधारा (1) के अधीन संदत्त की जानेवाली आदेशित राशि का 50% न्यायालय में अपीलकर्ता द्वारा जमा न कर दी जाय:

परन्तु यह और कि उच्च न्यायालय तीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलकर्ता को समय पर अपील करने से पर्याप्त कारण द्वारा रोका गया था।

43. अनुज्ञप्तिधारी, आदि के कदाचार हेतु शास्ति।—जो कोई इस अधिनियम के अधीन स्वीकृत अथवा निर्गत अनुज्ञप्ति अथवा परमिट का धारक होने पर अथवा ऐसे धारक के नियोजन में रहने पर और उसकी ओर से कार्य करने पर

- (क) किसी उत्पाद पदाधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर अथवा सम्यक् रूप से सशक्त किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा ऐसी मांग किए जाने पर ऐसी अनुज्ञप्ति अथवा परमिट प्रस्तुत करने में असफल होता है; अथवा
- (ख) अपनी अनुज्ञप्ति अथवा परमिट के शर्तों के उल्लंघन में जानबूझकर कुछ ऐसी बातें करता है अथवा छोड़ देता है जो इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित नहीं है; अथवा
- (ग) किसी उत्पाद पदाधिकारी द्वारा अपने परिसरों के निरीक्षण के दौरान सहयोग नहीं करता है; अथवा
- (घ) विवरण (रिटर्न) प्रस्तुत करने में असफल रहता है;

तो सिद्धदोष होने पर दंडित किया जाएगा—

- (1) खंड (क) के अधीन आनेवाले अपराध की दशा में जुर्माने से, जो कम से कम एक लाख रुपये होगा, जिसे बढ़ाकर दस लाख रुपये तक किया जा सकेगा।
- (2) खंड (ख) के अधीन आनेवाले अपराध की दशा में कारावास से, जो कम से कम पाँच वर्षों का होगा, जिसे बढ़ाकर सात वर्षों तक किया जा सकेगा और जुर्माने से, जो कम से कम एक लाख रुपये होगा, जिसे बढ़ाकर दस लाख रुपये तक किया जा सकेगा।
- (3) खंड (ग) और (घ) के अधीन आनेवाले अपराध की दशा में जुर्माने से, जो कम से कम एक लाख रुपये होगा, जिसे बढ़ाकर दस लाख रुपये तक किया जा सकेगा तथा उत्तरवर्ती विलम्ब के लिए दस हजार रुपये प्रति दिन होगा।

44. अवैध शराब व्यापार में अवयस्कों अथवा महिलाओं को नियोजित करने हेतु शास्ति।—

- (1) यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु के किसी अवयस्क व्यक्ति अथवा किसी महिला को शराब अथवा कोई मादक द्रव्य को छुपाने, विक्री करने, रखने, परिवहन करने अथवा वितरण करने के प्रयोजन से नियोजित करता है तो वह कम से कम दस वर्षों के कारावास, से जिसे बढ़ाकर आजीवनकारावास तक किया जा सकेगा तथा जुर्माने से, जो कम से कम एक लाख रुपये होगा, जिसे बढ़ाकर दस लाख रुपये तक किया जा सकेगा, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा।
- (2) यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम के किसी अवयस्क या किसी महिला को किसी मादक द्रव्य अथवा शराब को कब्जा में रखने, भंडारित करने, वितरित करने, विक्रय करने, क्रय करने परिवहन करने अथवा उपभोग करने के लिये धमकाता है, फुसलाता है, प्रलोभन देता है अथवा बढ़ावा देता है अथवा धमकाने, फुसलाने, प्रलोभन देने अथवा बढ़ावा देने की चेष्टा करता है वह कम-से-कम 8 वर्षों के कारावास से, जिसे बढ़ाकर 10 वर्षों तक किया जा सकेगा और जुर्माने से, जो कम से कम एक लाख रुपये होगा, जिसे बढ़ाकर दस लाख रुपये किया जा सकेगा, दंडनीय होगा।

45. हमला और बाधा के लिए शास्ति।—भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का XLV) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जो किसी उत्पाद पदाधिकारी अथवा पुलिस पदाधिकारी अथवा अपने सरकारी कर्तव्य के निष्पादन में लगे किसी अन्य पदाधिकारी पर हमला करता है अथवा हमला करने की धमकी देता है अथवा बाधा उत्पन्न करता है अथवा बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करता है तो वह कम से कम आठ वर्षों के कारावास से, जिसे

बढ़ाकर दस वर्षों तक किया जा सकेगा और जुर्माने से, जो कम से कम एक लाख रुपये होगा जिसे बढ़ाकर दस वर्षों तक किया जा सकेगा, दंडनीय होगा।

46. शुल्क अथवा फीस का भुगतान नहीं करने के लिए शास्ति।—यदि कोई व्यक्ति कोई शुल्क अथवा फीस का भुगतान करने में असफल रहता है, जिसका देनदार वह, इस अधिनियम के अधीन, है तो वह कम से कम तीन वर्षों के कारावास से, जिसे बढ़ाकर पाँच वर्षों तक किया जा सकेगा और जुर्माने से, जो कम से कम एक लाख रुपये होगा, जिसे बढ़ाकर दस लाख रुपये तक किया जा सकेगा, दंडनीय होगा।

47. अपराध करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले परिसरों आदि की अनुमति देने हेतु शास्ति।—जो कोई, चाहे इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञापितधारी है अथवा अन्यथा किसी मकान, कमरा, अहाता, खाली जगह, पशु अथवा वाहन पर नियंत्रण रखता है अथवा प्रयोग करता है, जानबूझकर किसी अपराध को करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को इसके प्रयोग की अनुमति देता है, जो इस अधिनियम के उपबंध के अधीन दंडनीय है, तो वह उसी रीति से दंडनीय होगा मानो कि उसने स्वयं उक्त अपराध को किया हो।

48. अपराध करने की कोशिश के लिए शास्ति।—जो कोई भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध को करने की कोशिश करे वह इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम दण्ड के आधे का भागी होगा।

49. न्यायालय की अवमानना के लिए शास्ति।—इस अधिनियम के अधीन किसी कलक्टर के समक्ष या सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से विहित ऐसे ओहदे के किसी पदाधिकारी, जो कलक्टर की शक्ति का उपयोग कर रहा हो, के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता (1860 के 45) की धारा-228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक प्रक्रिया मानी जाएगी और अवमानना के अपराध के लिये दोषी कोई व्यक्ति तदनुसार दण्डनीय होगा।

50. परेशान करने के लिए की गयी तलाशी, अभिग्रहण, निरोध या गिरफ्तारी हेतु उत्पाद पदाधिकारी या पुलिस पदाधिकारी पर शास्ति।—यदि कोई उत्पाद पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति शक करने के समुचित आधार के बिना और परेशान करने के उद्देश्य से

- (क) इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति के उपयोग का बहाना बना कर किसी बन्द स्थल में प्रवेश करता है या तलाशी लेता है या प्रवेश कराता है या तलाशी कराता है; या
- (ख) इस अधिनियम के अधीन अभिग्रहण के भागी किसी वस्तु की तलाशी लेने या अभिग्रहण करने के बहाने किसी व्यक्ति की चल संपत्ति का अभिग्रहण करता है; या
- (ग) किसी व्यक्ति की तलाशी लेता है, निरुद्ध करता है या गिरफ्तार करता है, या
- (घ) किसी अन्य तरीके से इस अधिनियम के अधीन अपनी कानूनी शक्तियों के बाहर जाता है, तो वह कारावास का भागी होगा जिसकी अवधि तीन वर्ष तक बढ़ायी जा सकेगी, या जुर्माना, जिसे एक लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा या दोनों का भागी होगा।

51. कर्तव्य से मुकरने वाले उत्पाद पदाधिकारी या पुलिस पदाधिकारी पर शास्ति।—यदि कोई उत्पाद पदाधिकारी या पुलिस पदाधिकारी बिना किसी विधिसम्मत कारण के, जब तब कि कलक्टर या उत्पाद आयुक्त द्वारा लिखित में ऐसा करने के लिए व्यक्त रूप में अनुमत नहीं हो जाता, या जब तक कि वह ऐसा करने के अपने इरादे की लिखित सूचना दो माह पहले अपने कार्यालय के वरीय पदाधिकारी को नहीं दे देता, अपने सरकारी कर्तव्य को करने से इनकार करता है या पीछे हटता है या जो कायरता का दोषी होगा, वह कारावास से, जिसे तीन महीने तक बढ़ाया जा सकेगा या जुर्माने से जिसे दस हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा।

52. अपराध जो अन्यथा उपबंधित नहीं हैं, के लिए शास्ति।—जो कोई भी इस अधिनियम या इसके अधीन बने किसी नियम या आदेश के उपबंधों के उल्लंघन का कोई कृत्य करता है और जिसके लिए अन्यथा दण्ड उपबंधित नहीं किया गया है, तो वह कम से कम छः महीने के कारावास से, जिसे बढ़ाकर सात वर्षों तक किया जा सकेगा, या जुर्माने से, जो कम से कम एक लाख रुपये होगा जिसे बढ़ाकर दस लाख रुपये तक किया जा सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।

53. पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात् विस्तारित दण्ड।—यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी दण्डनीय अपराध का पहले ही सिद्धदोष ठहराने के पश्चात् बाद में इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करता है और सिद्धदोष ठहराया जाता है, तो वह पहले दोषसिद्धि के लिए उपबंधित दण्ड के दुगुने दण्ड का भागी होगा।

54. भू-स्वामियों, भवन स्वामियों तथा अन्य व्यक्तियों की अननुज्ञप्त निर्माण करने, कृषि या उपभोग करने की सूचना देने में विफलता।—

- (1) इस अधिनियम का उल्लंघन कर जब कभी कोई शराब या मादक द्रव्य या कोई उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु बनायी जाती है, बेची जाती है, बोतल बंद की जाती है, रखी जाती है, भंडारित की जाती है, सेवन की जाती है या उत्पाद शुल्क योग्य किसी पौधे की खेती की जाती है, तो उस भूमि या भवन के स्वामी या अधिभोगी (अधिभोगियों) या उसके अभिकर्ताओं को जैसे ही उनको इसकी जानकारी मिलती है, की सूचना निकटतम उत्पाद अधिकारी, पुलिस अधिकारी या कलक्टर को देना बाध्यकारी है।
- (2) उपर्युक्त उपधारा (1) के अनुसार सूचना नहीं देना अपराध करने के बराबर है और संबंधित व्यक्ति पर इस अधिनियम की धारा-30 और 64 के अधीन मुकदमा चलाया जाएगा।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनार्थ “अधिभोगी” शब्द से अभिप्रेत है और उसमें शामिल है उस भूमि या भवन के वे सभी वयस्क अधिभोगी जिनकी उम्र अठारह वर्ष से अधिक है।

55. अपराधों का शमन नहीं होना।—इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन कर किया गया कोई भी अपराध इस अधिनियम के अधीन अशमनीय होगा।

56. अधिहरण की जा सकने वाली चीजें।—जब कभी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध किया जाता है तो निम्नलिखित वस्तुएँ अधिहरण की भागी होंगी यथा —

- (क) कोई ऐसा मादक द्रव्य, शराब, सामग्री, भभका (स्टिल), बर्तन, औजार, उपकरण जिसकी बाबत या जिससे यह अपराध किया गया हो;
- (ख) खंड (क) के अधीन अधिहरण के भागी किसी मादक द्रव्य के अलावे या के साथ गैर कानूनी ढंग से आयात की गयी, ढोयी गयी, विनिर्मित की गयी, बेची गयी या लायी गयी कोई नशीली वस्तु या शराब;
- (ग) कोई पात्र, पैकेज या आवरक जिसमें खंड (क) या खंड (ख) के अधीन अधिहरण की भागी कोई वस्तु पायी जाती हो और ऐसे पात्र, पैकेज या आवरक की अन्य अन्तर्वस्तु, यदि कोई हो।
- (घ) उसे ढोने के काम में लाये जानेवाले पशु, वाहन, जलयान, या परिवहन के अन्य साधन।
- (ङ) कोई परिसर या उसका कोई हिस्सा जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी शराब अथवा मादक द्रव्य के भंडारण अथवा विनिर्माण के लिए अथवा किसी अपराध को करने के लिए प्रयोग में लाया गया हो।

स्पष्टीकरण:—“परिसर”में शामिल हैं अचल संरचना, संरचना के अन्तर्गत सभी चल वस्तु और भूमि जिसपर परिसर अवस्थित हैं।

57. अधिहरण के पूर्व वस्तुओं को विक्रय या नष्ट करने का आदेश देने की कलक्टर की शक्ति।—यदि विचाराधीन वस्तु के शीघ्र या प्राकृतिक रूप से सड़-गल जाने की संभावना हो, या यदि उत्पाद आयुक्त, कलक्टर, न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत पदाधिकारी का यह विचार हो कि उस वस्तु का विक्रय सार्वजनिक हित में होगा या विक्रय उसके स्वामी के हित में होगा तो उत्पाद आयुक्त, कलक्टर, न्यायालय या पदाधिकारी, किसी भी समय, अधिहरण आदेश पारित करने के पूर्व, ऐसी वस्तुओं को बेचने का निदेश दे सकेगा और अर्थागम को सरकार के पास जमा कर दिया जाएगा:

परन्तु, जहाँ वस्तु शीघ्रता से और प्राकृतिक रूप से सड़-गल जानेवाली हो या कम मूल्य की हो, अथवा जिसे दूरूपयोग के लिये रखी जा सकती हो, तो कलक्टर या संबंधित पदाधिकारी ऐसी चीज को नष्ट करने का आदेश दे सकेगा; यदि उसके अपने या उसके विचार से ऐसा आदेश मामले की परिस्थितियों में समीचीन हो।

58. कलक्टर द्वारा अधिहरण।—

- (1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ इस अधिनियम के अधीन अधिहरण का भागी कोई चीज इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अभिगृहीत या निरुद्ध की जाती है तो ऐसी संपत्ति को अभिगृहीत या निरुद्ध करनेवाला पदाधिकारी अविलम्ब एक प्रतिवेदन उस जिला कलक्टर के समक्ष पेश करेगा जिसके क्षेत्राधिकार में वह क्षेत्र होगा।
- (2) उपधारा (1) के अधीन, प्रतिवेदनकी पेशी पर जिला कलक्टर का यह समाधान हो जाए कि इस अधिनियम के अधीन अपराध किया गया है तो, ऐसे अपराध के लिए चाहे अभियोजन संस्थित किया गया हो अथवा नहीं, और किसी न्यायालय के समक्ष मामला लंबित है या नहीं, ऐसी संपत्ति को अधिहरण करने का आदेश पारित कर सकेगा।
- (3) उपधारा (2) के अधीन आदेश पारित करने के पूर्व सम्बंधित व्यक्ति को सुनवाई के लिए कलक्टर पर्याप्त अवसर देगा।
- (4) उप धारा (2) के अधीन अधिहरण का आदेश देते समय जिला कलक्टर यह भी आदेश कर सकेगा कि अधिहरण आदेश से संबंधित ऐसी संपत्ति, जिसे, उसके विचार से, सुरक्षित नहीं रखा जा सकता या जो मनुष्यों के उपयोग के लायक नहीं है, को नष्ट कर दिया जाए। इन उपबंधों के अनुरूप जब भी कोई अधिहृत वस्तु नष्ट की जाएगी, वह, यथास्थिति, किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट या अधिहरण का आदेश देने वाले पदाधिकारी या अवरनिरीक्षक से अन्यून पंक्ति के उत्पाद पदाधिकारी की उपस्थिति में नष्ट की जाएगी।
- (5) जहाँ उपधारा (2) के अधीन अधिहरण का आदेश पारित करने के पश्चात्, जिला कलक्टर का यह विचार हो कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में समीचीन है, तो वह अधिहृत संपत्ति या उसके किसी अंश को सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेच देने या विभाग द्वारा निस्तारित करने का आदेश दे सकेगा तथा अर्थागम राज्य सरकार को जमा किया जाएगा।
- (6) जिला कलक्टर ऐसे अधिहरण के एक महीने के भीतर अधिहरण के समस्त विवरणों का पूर्ण प्रतिवेदन उत्पाद आयुक्त को प्रस्तुत करेगा।

59. अधिहरण तथा नष्ट करने के आदेश का अन्य दण्ड के साथ हस्तक्षेप नहीं करना।—इस अधिनियम की धारा—58 के अधीन किसी अधिहरण का आदेश, किसी दंडादेश को अधिरोपित करने से नहीं रोकेगा, जिससे प्रभावित व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन उसका दायी है।

60. अधिहरण में अधिकारिता का वर्जन।—जब कभी इस अधिनियम के अधीन कोई शराब, सामग्री, स्टिल, बर्तन, औजार या उपकरण या कोई पात्र, पैकेज, कोई पशु चालित गाड़ी, जलयान या अपराध को अंजाम देने में प्रयुक्त कोई अन्य वाहन अभिगृहीत या निरुद्ध किया जाता है, तो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किसी न्यायालय को ऐसी संपत्ति से संबंधित कोई आदेश देने की अधिकारिता नहीं होगी।

61. अधिहृत वस्तुओं का कलक्टर में निहित होना।—जब इस अधिनियम की धारा—57 के अधीन किसी संपत्ति के अधिहरण के लिए आदेश पारित किया जाता है और ऐसा आदेश उस संपत्ति के सम्पूर्ण या किसी हिस्से की बाबत अंतिम होता है तो, यथास्थिति, ऐसी संपत्ति या उसका हिस्सा बिना किसी विल्लंगम (ऋणभार) के कलक्टर में निहित होगी।

62. परिसरों का सीलबंद किए जाने के अधीन होना।—यदि किसी उत्पाद पदाधिकारी या किसी पुलिस पदाधिकारी, जो अवर निरीक्षक से अन्यून पंक्ति का हो, को पता चले कि किसी खास परिसर में शराब अथवा कोई मादक द्रव्य अथवा उस परिसर विशेष या उसका कोई हिस्सा इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है या किया जा रहा है, तो वह तत्काल उस परिसर को सीलबंद कर सकेगा तथा उसके अधिहरण के लिए कलक्टर के पास प्रतिवेदन भेज सकेगा:

परन्तु, यदि उक्त परिसर अस्थायी संरचना हो जिसे प्रभावी ढंग से सीलबंद नहीं किया जा सकता हो, तो उत्पाद पदाधिकारी या पुलिस पदाधिकारी, कलक्टर के आदेश से, ऐसे अस्थायी संरचनाओं को ध्वस्त कर सकेगा।

स्पष्टीकरण—“परिसर” में शामिल है अचल संरचना, संरचना के अन्तर्गत सभी चल वस्तु और भूमि जिसपर परिसर अवस्थित है।

63. कतिपय मामलों में शराब, मादक द्रव्य या गाँजा/भाँग बेचे जानेवाले स्थलों को बंद करने की कलक्टर की शक्ति। —

- (1) यदि कलक्टर की यह राय हो कि यह सार्वजनिक शांति के हित में है कि किसी जगह, जहाँ कोई शराब या नशीली वस्तु बेची जा रही है, अथवा निर्माण की जा रही है को बंद कर दिया जाए, तो कलक्टर के लिए यह विधिसम्मत होगा कि वह ऐसे मादक द्रव्य बेचने के अनुज्ञप्तिधारी को लिखित आदेश दे कि, अमुक जगह को अमुक समय पर या अमुक अवधि के लिए, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट हो, बंद रखे।
- (2) यदि कोई दंगा या अवैध सभा आसन्न हो या हो रही हो, तो उपस्थित किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के लिए यह विधिसम्मत होगा कि वह ऐसी जगह को बंद करने और ऐसी अवधि तक उसे बंद रखने का निदेश देगा, जो वह उचित समझे, और किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति स्वयं ऐसी जगह को बंद करेगा।
- (3) इस धारा के अधीन दिया गया कोई आदेश, यदि किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया हो तो, कलक्टर के समक्ष, तथा यदि कलक्टर द्वारा दिया गया हो तो उत्पाद आयुक्त के समक्ष अपीलनीय होगा।

64. सामूहिक जुर्माना। —

- (1) यदि कलक्टर का किसी उत्पाद पदाधिकारी या पुलिस पदाधिकारी या अन्यथा के प्रतिवेदन से समाधान हो जाता कि कोई गाँव या शहर विशेष या किसी गाँव या शहर के भीतर का कोई इलाका या उस गाँव या शहर में रह रहा कोई समूह/समुदाय विशेष इस अधिनियम के उपबंधों का बार—बार उल्लंघन कर रहा है या इस अधिनियम के अधीन अपराध करने को आदतन प्रवृत्त होता है या इस अधिनियम को लागू करने में अड़ंगा बनता है, तब कलक्टर आदेश द्वारा, गाँव या शहर के ऐसे इलाके में रहनेवाले ऐसे जनसमूह पर यथोचित सामूहिक जुर्माना लगा सकेगा और ऐसे जुर्माना की वसूली कर सकेगा मानों वह बिहार और उड़ीसा लोक माँग वसूली अधिनियम, 1914 (बिहार और उड़ीसा अधिनियम, 1914 का IV) के अधीन लोक माँग हो।
- (2) कलक्टर, उपधारा (1) के अधीन किसी प्रतिवेदन या सूचना के प्राप्त होने पर, यदि वह आवश्यक समझे, ऐसी जाँच करवा सकेगा या संचालित कर सकेगा जिसे वह उचित समझे।
- (3) कलक्टर, उपधारा (1) के अधीन आदेश पारित करने के पूर्व, इलाके के लोगों को सुनवाई का एक उचित अवसर प्रदान करेगा।
- (4) आरोपी व्यक्तियों की सुनवाई पर या उपधारा (2) के अधीन ऐसी किसी जाँच पर कलक्टर कोई उपयुक्त आदेश पारित कर सकेगा जिसे ऐसे साधनों द्वारा इलाके में सम्यक् रूप से उद्घोषित किया जाएगा जो कलक्टर विनिश्चित करे।

65. राज्य सरकार की सुविधाओं, विशेषाधिकारों आदि को वापस लेने की शक्ति।—राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर, इस अधिनियम में किसी भी अपराध के अधीन आरोप पत्र दाखिल किये जा चुके व्यक्तियों पर किसी अन्य अधिनियम स्कीमों, परियोजनाओं आदि के अधीन कतिपय सुविधाओं, विशेषाधिकारों, संविदाओं, अनुज्ञप्तियों, विस्तारित लाभों पर युक्ति संगत रोक लगा सकेगी, या मना कर सकेगी या वापस ले सकेगी।

अध्याय VII

निष्कासन और नजरबंदी

66. कुख्यात अथवा आदतन अपराधियों का निष्कासन आदि।—

(1) जहां कलक्टर को यह प्रतीत हो कि—

- (क) इस अधिनियम के तहत कोई व्यक्ति कुख्यात अथवा आदतन अपराधी है, अथवा
- (ख) यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार हो कि कोई व्यक्ति जिला में अथवा उसके किसी हिस्से में इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध में लगा हुआ है अथवा लगने वाला है अथवा इस तरह के अपराध करने को प्रेरित करता है तो —

कलक्टर खण्ड(क) अथवा(ख) की बाबत उसके विरुद्ध तात्त्विक आरोप की सामान्य प्रकृति की सूचना लिखित नोटिस द्वारा देगा और उसके संबंध में स्पष्टीकरण देने हेतु समुचित अवसर देगा।

(2) इस धारा के अधीन उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध आदेश दिया जाना प्रस्तावित है, परामर्श करने के लिए और अपनी पसंद के एक वकील द्वारा बचाव किये जाने की अनुमति दी जा सकेगी।

(3) उपधारा(1) के खंड(क) अथवा (ख) में विनिर्दिष्ट स्थिति विद्यमान होने से संतुष्ट होने पर, कलक्टर लिखित आदेश द्वारा—

(क) उसे निदेश दे सकेगा कि जिले या उसके किसी हिस्से से जैसा भी मामला हो उस मार्ग से यदि कोई हो, उस समय के भीतर, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय अपने को अलग रखे और जिला अथवा उसके विनिर्दिष्ट भाग में आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि जो छः माह से अधिक नहीं होगी की समाप्ति तक प्रवेश करने से रोके।

(ख)(i) उस व्यक्ति से अपने संचलन की सूचना देने अथवा स्वयं को प्रस्तुत करने अथवा दोनों की अपेक्षा ऐसी रीति से ऐसे समय पर अथवा ऐसे प्राधिकारी अथवा व्यक्ति के समक्ष करेगा जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अथवा

(ii) उस वस्तु अथवा उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु को जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, उसके द्वारा कब्जा में रखने और उपयोग करने को निषिद्ध अथवा प्रतिबंधित कर सकेगा, अथवा

(iii) किसी खास क्रियाकलाप अथवा व्यवसाय, जिसमें वह हाल में शामिल है अथवा शामिल होने वाला हो, निषिद्ध अथवा प्रतिबंधित कर सकेगा, अथवा

(iv) उसे नजदीक के नशा मुक्ति केंद्र पर ईलाज अथवा सलाह अथवा दोनों के लिये आदेश में निर्दिष्ट अवधि के लिये चिकित्सा विशेषज्ञ की देखरेख में नजरबंद कर सकेगा अथवा।

(v) आदेश में यथाविनिर्दिष्ट रीति से और अवधि तक जो छः माह से अधिक नहीं हो, आचरण करने के लिये अन्यथा निदेश दे सकेगा।

67. आदेश के विस्तारण की अवधि।—कलक्टर यदि संतुष्ट हो कि जनसाधारण अथवा किसी आमजन के हित में धारा-66 के अधीन किये गये आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि का विस्तार किया जाय तो वह लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से अवधि विस्तार करने हेतु सक्षम होगा जो, फिर भी कुल दो वर्षों से अधिक नहीं होगी।

68. अस्थायी रूप से वापसी की अनुमति।—कलक्टर धारा-66 के अधीन पारित आदेश से संबंधित व्यक्ति को, आदेश के द्वारा, अस्थायी अवधि के लिये जिला अथवा उसके हिस्से में, जिससे बाहर जाने के लिये निदेशित था, प्रवेश अथवा वापसी की अनुमति ऐसे शर्तों पर दे सकेगा जो कलक्टर विनिर्दिष्ट करे और किसी समय उस अनुमति को विखंडित कर सकेगा।

69. साक्ष्य की प्रकृति।—कलक्टर धारा-65 के अधीन आदेश पारित करने के लिये आवश्यक शर्तों विद्यमान है अथवा नहीं के बारे में स्वयं को संतुष्ट होने के उद्देश्य से किसी साक्ष्य को विचारण में ले सकेगा जिसे वह प्रमाणक महत्व का समझता हो और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के प्रावधान वहाँ लागू नहीं होंगे।

70. तत्काल गिरफ्तारी।—किसी व्यक्ति को जो इस अधिनियम की धारा-66 के अधीन पारित आदेश का उल्लंघन किया हो अथवा करने वाला हो, कोई उत्पाद पदाधिकारी अथवा पुलिस पदाधिकारी बिना गिरफ्तारी वारंट के गिरफ्तार कर सकेगा और इस प्रकार गिरफ्तार व्यक्ति को तुरत न्यायालय भेज देगा।

71. धारा-66 के अधीन आदेश का अनुपालन नहीं करने के लिये शास्ति।—

कलक्टर द्वारा धारा-66 के अधीन पारित आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति कम से कम पांच वर्ष की कारावास की अवधि, जिसका विस्तार सात वर्ष तक किया जा सकेगा और एक लाख जुर्माना, जो दस लाख तक बढ़ाया जा सकेगा, से दण्डनीय होगा।

72. फरार व्यक्तियों के संबंध में शक्ति।—

- (1) यदि कलक्टर पता है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध धारा-66 के अधीन आदेश पारित है वह फरारी है अथवा फरार हो चुका है अथवा अपने को आदेश निष्पादित नहीं होने के लिये छुपा रखा है तो कलक्टर, राजपत्र में अधिसूचित और स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उस व्यक्ति को ऐसे पदाधिकारी के समक्ष ऐसे स्थान पर ऐसी अवधि के भीतर उपस्थित होने के लिये निदेश दे सकेगा जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय।
- (2) उपधारा (1) के अधीन निर्गत आदेश का अनुपालन करने में यदि कोई व्यक्ति विफल हो जाता है तो कलक्टर इस अधिनियम की धारा-58 के अधीन संबंधित व्यक्ति की चल और/अथवा अचल सम्पत्ति को अधिहृत करने के लिये सक्षम होगा।

अध्याय VIII**अपराधों का पता लगाना, अन्वेषण तथा विचारण**

73. प्रवेश करने, निरीक्षण करने, तलाशी लेने तथा अभिग्रहण करने की शक्ति।—निम्नलिखित में से कोई भी पदाधिकारी, यथा—

- (क) उत्पाद आयुक्त; या
- (ख) कलक्टर; या
- (ग) कलक्टर द्वारा प्राधिकृत प्रखण्ड स्तर और उपर का कोई अन्य पदाधिकारी; या
- (घ) कोई उत्पाद पदाधिकारी; या
- (ङ) अवर निरीक्षक के पद से अन्यून पंक्ति का कोई पुलिस पदाधिकारी; या
- (च) राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी या अभिकरण (एजेंसी) या बल, सशस्त्र या अन्यथा;

बिना वारंट के, लेकिन वैसे प्रतिबंध जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जायें, के अधीन, किसी जगह, किसी समय, दिन हो या रात, प्रवेश कर सकेगा, निरीक्षण कर सकेगा, तलाशी ले सकेगा तथा किसी दस्तावेज, नमूने, उपकरण, परिवहन, पशु, सामान, मादक द्रव्य, पदार्थ, कच्चे माल या किसी अन्य संबंधित चीज का अभिग्रहण कर सकेगा।

74. बिना वारंट के गिरफ्तार करने या निरुद्ध करने की शक्ति।—

- (1) धारा-73 में उल्लिखित पदाधिकारियों में से कोई पदाधिकारी, किसी व्यक्ति तथा/या किसी भी वाहन, पशु, परिवहन के साधन को, इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन दण्डनीय अपराध को करते हुए या अपराध करने की कोशिश करते हुए पाता है तो वह किसी समय, दिन हो या रात, बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकेगा या निरुद्ध कर सकेगा।
- (2) इस धारा के अधीन सभी गिरफ्तारी कलक्टर को तुरत प्रतिवेदित की जायेगी।

75. चिकित्सीय जाँच या श्वास विश्लेषण करने की शक्ति।—

- (1) धारा-73 में उल्लिखित पदाधिकारियों में से कोई पदाधिकारी किसी व्यक्ति से, चिकित्सीय जाँच और/या श्वास विश्लेषण से जिसे वह उपयुक्त समझे, गुजरने को कह सकेगा।
- (2) जिस व्यक्ति से ऐसा करने को कहा गया है वह व्यक्ति ऐसे चिकित्सीय जाँचों या श्वास विश्लेषण जाँचों को करवाने के लिए स्वयं को प्रस्तुत करने हेतु कर्तव्यबद्ध होगा। यदि वह ऐसा नहीं करता, तो यह मान लिया जाएगा कि उसने इस अधिनियम की धारा-37 के अधीन अपराध किया है और तदनुसार उस पर मुकदमा चलाया जाएगा।
- (3) ऐसी जाँच का रिपोर्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अधीन साक्ष्य के रूप में मान्य होगी।

76. अपराधों का संज्ञेय तथा गैर जमानती होना।—

- (1) इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे और इन पर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम 2) के उपबंध लागू होंगे।
- (2) उपर्युक्त उप धारा (1) में उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का अधिनियम-2) की धारा-360 और 438 और अपराधी परीक्षा अधिनियम-1958 (1958 का 20) की कोई बात ऐसे मामले पर लागू नहीं होगी जिसमें, इस अधिनियम के अधीन किये गये अपराध के अभियोग में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी शामिल हो।

77. सूचना प्राप्त करने की शक्ति।—उत्पाद आयुक्त या कलक्टर या कोई उत्पाद पदाधिकारी या पुलिस पदाधिकारी जो सहायक अवर निरीक्षक से नीचे की पंक्ति का न हो आदेश द्वारा, किसी भी व्यक्ति या किसी भी प्रतिष्ठान से, जिसका किसी शराब या मादक द्रव्य के किसी गैर कानूनी संचालन के साथ समुचित रूप से जुड़ा हुआ समझा जाता है, अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी सूचना उसे उपलब्ध करावे जो आदेश में विनिर्दिष्ट हों।

78. अन्वेषण करने की शक्ति।—

- (1) कोई उत्पाद पदाधिकारी, इस अधिनियम के अधीन किसी दंडनीय अपराध का अन्वेषण कर सकेगा।
- (2) कोई पुलिस पदाधिकारी जो अवर निरीक्षक पद से अन्यून पंक्ति का हो, इस अधिनियम के अधीन किसी दंडनीय अपराध का अन्वेषण कर सकेगा।

79. उत्पाद पदाधिकारी की शक्ति।—

- (1) धारा-73 में उल्लिखित सभी उत्पाद पदाधिकारी अपनी अधिकारिता वाले क्षेत्र में थाना के प्रभारी पदाधिकारी की शक्तियों का प्रयोग इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ कर सकेंगे।
- (2) जिस क्षेत्र में उत्पाद पदाधिकारी को धारा-73 के अधीन शक्ति प्रदान की गयी हो, वह क्षेत्र, थाना समझा जाएगा।

80. गिरफ्तार व्यक्तियों की पेशी।—इस अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किसी व्यक्ति को चौबीस घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।

81. अभिगृहीत वस्तुओं और गिरफ्तार व्यक्ति को स्वीकार करने का पुलिस का कर्तव्य।—प्रत्येक थाना प्रभारी पदाधिकारी न्यायालय या कलक्टर का आदेश लंबित रहने तक इस अधिनियम के अधीन अभिगृहीत सभी वस्तुओं और गिरफ्तार सभी व्यक्तियों को, जो उसे सुपुर्द हो सकती हो; प्रभार ग्रहण कर सकेगा और सुरक्षित अभिरक्षा में रख सकेगा और ऐसी वस्तुओं के साथ आनेवाले उत्पाद पदाधिकारी को ऐसी वस्तुओं पर अपना सील लगाने तथा उनके नमूने लेने की अनुमति दे सकेगा।

82. गिरफ्तारी, अभिग्रहण तथा तलाशी के प्रतिवेदन।—कोई गिरफ्तारी, तलाशी या अभिग्रहण करने पर प्रत्येक पुलिस पदाधिकारी चौबीस घंटे के भीतर कलक्टर को तथा धारा-73 के अधीन सशक्त उत्पाद पदाधिकारी को एक प्रतिवेदन सौंपेगा।

83. न्यायालय द्वारा विचारण।—इस अधिनियम की धारा-76 की उपधारा-(1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय सभी अपराधों का विचारण सत्र न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

84. विशेष न्यायालय।—

- (1) इस अधिनियम या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम 2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, यदि लोक हित में आवश्यक समझती है, इस अधिनियम के अधीन सभी अपराधों या उनमें से किसी अपराध पर विचारण के प्रयोजनार्थ, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, राज्य, के प्रत्येक जिला में विशेष न्यायालय (न्यायालयों) या तो स्थापित कर सकेगी या अभिहित कर सकेगी।
- (2) विशेष न्यायालय की अध्यक्षता कोई विशेष न्यायाधीश करेगा जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम 2) के अधीन एक सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश या सहायक सत्र न्यायाधीश हो या रहा हो।
- (3) विशेष न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी विचारण को, किसी अन्य न्यायालय (जो विशेष न्यायालय न हो) में किसी मामले में आरोपी के विरुद्ध विचारण पर अग्रता प्रदान की जाएगी और ऐसे अन्य मामले के विचारण को प्राथमिकता देते हुए इसे सम्पन्न किया जाएगा।
- (4) इस अधिनियम के आरम्भ होने के पूर्व बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 (1915 का बिहार और उड़ीसा अधिनियम II) के अधीन किसी अन्य न्यायालय में लंबित सभी विचारण और कार्यवाहियां विशेष न्यायालयों को अंतरित हो जाएंगे।

85. विशेष न्यायाधीश की प्रक्रिया और शक्ति।—

- (1) एक विशेष न्यायाधीश, विचारण के लिए उसे अभियुक्त को सुपुर्द नहीं किये जाने पर भी अपराधों का संज्ञान ले सकेगा और अभियुक्त व्यक्तियों पर विचारण करते समय दण्डाधिकारियों (मजिस्ट्रेटों) द्वारा वारंट मामलों पर विचारण हेतु दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) द्वारा विहित प्रक्रिया का पालन करेगा।
- (2) उप धारा (1) में यथा उपबंधित को छोड़कर, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंध जहाँ तक वे इस अधिनियम से असंगत नहीं हों, विशेष न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाहियों में लागू होंगे; और उक्त उपबंधों के प्रयोजन हेतु विशेष न्यायाधीश का न्यायालय, सत्र न्यायालय समझा जाएगा तथा किसी विशेष न्यायाधीश के समक्ष अभियोजन का संचालन करनेवाला व्यक्ति, लोक अभियोजक समझा जाएगा।
- (3) विशिष्टतया तथा उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा- 326 तथा 475 के उपबंध, जहाँ तक हो सके, किसी विशेष न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाहियों में लागू होंगे और उक्त उपबंधों के प्रयोजनार्थ विशेष न्यायाधीश एक मजिस्ट्रेट समझा जाएगा।
- (4) एक विशेष न्यायाधीश, उसके द्वारा किसी सिद्धदोष व्यक्ति को, ऐसे अपराध के दंड के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दंड पारित कर सकेगा जिसके लिए ऐसा व्यक्ति सिद्धदोष ठहराया गया हो।
- (5) विशेष न्यायाधीश, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध पर विचारण करते समय, दंड विधि संशोधन अध्यादेश, 1944 (1944 का अध्यादेश 38) के अधीन जिला न्यायाधीश द्वारा प्रयोग की जानेवाली समस्त शक्तियों तथा कृत्यों का प्रयोग करेगा।
- (6) दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विशेष न्यायाधीश, यथासाध्य, दैनंदिन आधार पर अपराध पर विचारण करेगा।

86. मामलों को नियमित न्यायालय में अंतरित करने की शक्ति।—इस अधिनियम में किसी अपराध का संज्ञान लेने के पश्चात्, जहाँ किसी विशेष न्यायालय की यह राय हो कि ऐसा अपराध उसके द्वारा विचार के योग्य नहीं है, तो इस बात के होते हुए भी कि ऐसे अपराध पर विचारण के लिए उसकी अधिकारिता नहीं है तो वह उस अपराध पर विचारण हेतु मामले को उस न्यायालय में अंतरित करेगा जिसे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम 2) के अधीन अधिकारिता प्राप्त है और वह न्यायालय जिसे मामला अंतरित किया गया है, अपराध पर विचारण इस प्रकार करेगा मानो उसने अपराध पर संज्ञान लिया हो।

87. विशेष न्यायालय की विनिर्माता, स्वामी, अधिभोगी आदि पर मुकदमा चलाने की शक्ति।—इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के विचारण के दौरान जहाँ किसी भी समय, किसी मादक द्रव्य का विनिर्माता, वितरक या डीलर या अपराध में शामिल किसी परिसर का स्वामी, अधिभोगी, नहीं होने पर भी किसी व्यक्ति पर आरोप लगाया जाता है कि उसने अपराध किया है और विशेष न्यायालय का अपने समक्ष प्रस्तुत किये गये साक्ष्य से समाधान हो जाता है कि ऐसे निर्माता, वितरक, डीलर, स्वामी या अधिभोगी का भी उस अपराध से संबंध है, तो न्यायालय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा—319 की उपधारा (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अध्याय की किसी धारा के अधीन उसके विरुद्ध कार्यवाई करेगा।

88. विशेष/अतिरिक्त लोक अभियोजक।—इस अधिनियम की धारा—84 के अधीन स्थापित प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए राज्य सरकार दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा—24 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार एक व्यक्ति को विशेष लोक अभियोजक तथा एक से अधिक व्यक्तियों को अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगी।

89. अपील।—विशेष न्यायालय के निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर, उच्च न्यायालय में अपील कर सकेगा।

90. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के कतिपय उपबंधों का अनुप्रयोग।—

(1) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित को छोड़ कर, गिरफ्तारी, निरोध, तलाशी, समन, गिरफ्तारी वारंट, तलासी वारंट, गिरफ्तार व्यक्तियों या अभिगृहीत वस्तुओं की पेशी से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंध, जहाँ तक हो सके, इस अधिनियम के अधीन की गयी गिरफ्तारी, निरोध तथा तलाशी, जारी किये गये समन एवं वारंट तथा गिरफ्तार व्यक्तियों या अभिगृहीत वस्तुओं की पेशी पर लागू होंगे।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के प्रावधान, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध से संबंधित किसी कार्यवाही के अनुप्रयोग में इस प्रकार प्रभावी होगा मानो—

(क) धारा—243 की उप धारा (1) में “तब अभियुक्त से अपेक्षा की जाएगी” शब्दों के लिए “अभियुक्त से तब अपेक्षा होगी कि वह तत्काल अथवा न्यायालय द्वारा अनुमत समय के भीतर लिखित में ऐसे व्यक्तियों की एक सूची (यदि कोई हो) दे जिनसे वह अपने गवाह के रूप में परीक्षण करने का प्रस्ताव करता है तथा ऐसे दस्तावेज दे (यदि कोई हो) जिन पर वह विश्वास करने का प्रस्ताव करता है और तब उनसे अपेक्षा की जाएगी” प्रतिस्थापित किए गए थे;

(ख) धारा—309 की उपधारा (2) में तृतीय परन्तुक के पश्चात् निम्नांकित परन्तुक अन्तःस्थापित किया गया था, यथा,

“परन्तु यह भी कि कार्यवाही केवल इस आधार पर स्थगित नहीं की जाएगी कि कार्यवाही में एक पक्षकार द्वारा धारा 397 के अधीन एक आवेदन दिया गया है।”

(ग) धारा—317 की उपधारा (2) के पश्चात् निम्नांकित उपधारा अन्तःस्थापित की गयी थी यथा—“ (3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी न्यायाधीश, यदि वह ठीक समझता है और उसके द्वारा कारणों को अभिलिखित किया जाता है तो वह अभियुक्त या उसके वकील की अनुपस्थिति में तह जाँच या विचारण की कार्यवाही कर सकेगा और प्रतिपरीक्षा के लिए गवाह को पुनः बुलाये जाने के अभियुक्त के अधिकार के अधीन किसी भी गवाह के साक्ष्य को अभिलिखित कर सकेगा।”

(घ) धारा—397 की उपधारा (1) में स्पष्टीकरण के पूर्व निम्नांकित परन्तुक अन्तःस्थापित किया गया था, यथा—

“परन्तु जहाँ ऐसी कार्यवाही के किसी पक्षकार द्वारा किये गये आवेदन पर न्यायालय द्वारा इस धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ न्यायालय साधारणतया कार्यवाही के अभिलेख को नहीं मांगेगा—

(क) दूसरे पक्षकार को कारण बताने का अवसर दिए बिना कि क्यों नहीं अभिलेख को मांगना चाहिए या

(ख) यदि उसका समाधान हो जाता है कि कार्यवाही के अभिलेख का परीक्षण प्रमाणित प्रतियों से की जा सकेगी।”

91. अभियोजन शुरू करने की प्रक्रिया।—

- (1) जैसे ही इस अधिनियम के किसी उपबंध के उल्लंघन की जानकारी मिलती है, उत्पाद पदाधिकारी या पुलिस पदाधिकारी, जो सहायक अवर निरीक्षक तथा ऊपर की पंक्ति का हो, इस अधिनियम के अधीन एक मामला दर्ज करेगा।
- (2) उत्पाद पदाधिकारी या संबंधित पुलिस पदाधिकारी तब मामले के अन्वेषण के लिए कार्यवाही करेगा।
- (3) मामले के अन्वेषण के पश्चात्, वह मामले के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से साठ दिनों के भीतर प्रतिवेदन दायर करेगा।
- (4) इस प्रकार दायर प्रतिवेदन, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा-173 (2) और धारा-190 के प्रयोजनों के लिए पुलिस प्रतिवेदन समझा जाएगा।
- (5) कलक्टर यह सुनिश्चित करेगा कि उपर उल्लिखित प्रतिवेदन समय पर दाखिल हो और वह न्यायालय के समक्ष प्रभावी अभियोजन का भी अनुश्रवण करेगा।
- (6) पुलिस अधीक्षक इस अधिनियम के अधीन पुलिस पदाधिकारियों द्वारा दाखिल मामलों की स्थिति का नजदीक से अनुश्रवण करेगा और उत्पाद आयुक्त एवं कलक्टर को आवधिक प्रतिवेदन समर्पित करेगा।

**अध्याय IX
अपील एवं पुनरीक्षण**

92. अपील।—

- (1) उत्पाद आयुक्त या कलक्टर के अलावे किसी अन्य उत्पाद पदाधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन पारित सभी अन्तिम आदेश, आदेश पारित किये जाने की तारीख से साठ दिनों के भीतर, कलक्टर के पास अपीलनीय होंगे।
- (2) कलक्टर तथा उत्पाद आयुक्त द्वारा पारित सभी अन्तिम आदेश, आदेश पर शिकायत किये जाने की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर, क्रमशः उत्पाद आयुक्त तथा राज्य सरकार के पास अपीलनीय होंगे:
परन्तु अपील पर आयुक्त द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध कोई द्वितीय अपील नहीं होगी।
- (3) राज्य सरकार इस निमित्त नियमावली बना सकेगी।

93. पुनरीक्षण।—राज्य सरकार स्वप्रेरणा से अथवा दिये गये आवेदन पर इस अधिनियम के अधीन किसी उत्पाद पदाधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही का अभिलेख अथवा किसी दस्तावेज जिसमें अनुज्ञप्ति का नवीकरण या अस्वीकृति अथवा परमिट, पास आदि की स्वीकृति का दस्तावेज शामिल है को पारित किये गये किसी आदेश की शुद्धता तथा वैधता के बारे में और ऐसी किसी कार्यवाही की नियमितता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के प्रयोजनार्थ मंगा सकेगी तथा परीक्षण कर सकेगी और, ऐसे अभिलेख की माँग किये जाने पर यह निदेश दे सकेगी कि इस प्रकार माँगे गये अभिलेख के परीक्षण के लंबित रहने तक आदेश प्रभाव में नहीं आएगा। अभिलेख के परीक्षण के उपरान्त, राज्य सरकार ऐसे आदेश को निष्प्रभावी, उलट, परिवर्तित या संपुष्ट कर सकेगी या ऐसा दूसरा आदेश पारित कर सकेगी जिसे वह उचित समझे।

**अध्याय X
छूट**

94. इस अधिनियम के प्रावधानों से मादक द्रव्य को छूट देने की राज्य सरकार की शक्ति।—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा पूर्णतः अथवा अंशतः, उन शर्तों (यदि कोई हो) के अधीन रहते हुए जिसे वह उचित समझे किसी मादक द्रव्य अथवा किसी मादक द्रव्य के कारखाना को, इस अधिनियम के सभी अथवा किसी प्रावधान से सम्पूर्ण राज्य अथवा राज्य के किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र का किसी विनिर्दिष्ट अवधि या अवसर के लिए अथवा किसी विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के वर्ग को और ऐसे किसी प्रयोजन के लिये छूट दे सकेगी।

**अध्याय XI
प्रकीर्ण**

95. राज्य सरकार की नियमावली बनाने की शक्ति।—

- (1) इस अधिनियम को क्रियान्वित करने के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी नियमावली बना सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो।
- (2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी नियमावली निम्नांकित विषयों में से किसी एक या सभी के लिए उपबंध कर सकेगी, यथा—
 - (क) उत्पाद पदाधिकारियों की शक्ति और कर्तव्यको विहित करना;
 - (ख) अपील और पुनरीक्षण की रीति विहित करना;
 - (ग) उत्पाद पदाधिकारी द्वारा अभियोजन प्रतिवेदन दायर करने की प्रक्रिया विहित करना;
 - (घ) विशेष लोक अभियोजक और अतिरिक्त लोक अभियोजक की नियुक्ति की प्रक्रिया विहित करना;
 - (ङ) इस अधिनियम के अधीन कलक्टर द्वारा दायर सभी वादों के अभियोजन के अनुश्रवण की रीति विहित करना;

- (च) स्पिरिट और इथनॉल के विनिर्माण, भंडारण, निष्पादन और विकृतिकरण की प्रक्रिया और पद्धति घोषित करना;
 - (छ) शुल्क या फीस के भुगतान की रीति, समय, स्थान, दर को विनियमित करना और इसके देय भुगतान हेतु प्रतिभूति लेना;
 - (ज) प्राधिकार, फार्म तथा रीति, निबंधन एवं शर्तें, विहित करना जिसके अधीन कोई लाइसेंस, परमिट या पास स्वीकृत किया जाएगा,
 - (झ) उपयोग के लिए अनुपयुक्त समझे जाने वाली किसी शराब को नष्ट करने या अन्य निस्तारण के उपबंध करना;
 - (ञ) अधिहृत सामानों के निस्तारण को विनियमित करना,
 - (ट) उत्पाद पदाधिकारियों तथा भेदियों को पुरस्कार प्रदान करने का उपबंध करना;
 - (ठ) गवाहों को खर्च प्रदान करने को विनियमित करना;
 - (ड) गवाहों को बुलाने के लिए उत्पाद पदाधिकारी की शक्ति को विनियमित करना;
 - (ढ) गैर कानूनी शराब विक्रेताओं एवं निर्माताओं की गतिविधियों पर अंकुश लगाना जो इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों अथवा इसके अधीन निर्मित नियमों के उल्लंघन में किसी शराब अथवा मादक द्रव्य का आसवन, विनिर्माण, भंडारण, परिवहन, आयात, निर्यात, विक्रय या वितरण करते हैं;
 - (ण) इस अधिनियम में यथा उल्लिखित परिसरों को सीलबंद करने, अधिहरण करने तथा सामुदायिक जुर्माना करने की रीति तथा प्रक्रिया विहित करना;
 - (त) बोर्ड, उत्पाद आयुक्त या कलक्टर के बीच विभिन्न शक्तियों तथा कर्तव्यों के प्रत्यायोजन को विहित करना;
 - (थ) कोई ऐसा प्रकीर्ण विषय जिसके लिए सरकार महसूस करती है कि नियम बनाने आवश्यक हैं।
 - (द) कोई अन्य विषय जिसे इस अधिनियम के अधीन विहित करने की जरूरत है या विहित किया जा सके।
- (3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र विधानमंडल के समक्ष, जब वह ऐसी कुल चौदह दिन की अवधि के लिए सत्र में हो जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती है, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व विधान सभा उस नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाए या विधानसभा इस बात से सहमत हो जाए कि ऐसा नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो नियम, यथास्थिति, ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी या निष्प्रभावी होगा, किन्तु ऐसा उपांतरण या बातिलकरण उस नियम के अधीन पूर्व में किए गए किसी कार्य या छोड़ दिए गए किसी कार्य की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

96. पदाधिकारी का लोक सेवक होना।—

- (1) इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करने या किसी कृत्य को करने हेतु शक्ति प्राप्त सभी पदाधिकारी और व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम 45) की धारा-21 के अर्थ के भीतर लोक सेवक समझे जाएंगे।
- (2) राज्य सरकार अथवा किसी उत्पाद पदाधिकारी द्वारा सद्भाव पूर्वक किये गये किसी कार्य अथवा इस अधिनियम अथवा उत्पाद राजस्व से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसरण में आदेश से किए गए किसी कार्य की क्षति के लिए उसके विरुद्ध सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं चलाया जाएगा।
- (3) इस अधिनियम के अनुसरण में की गई कोई बात अथवा कथित रूप से की गई कोई बात की बावत राज्य सरकार के विरुद्ध बिना उसकी पूर्व स्वीकृति के कोई सिविल न्यायालय किसी वाद का विचारण नहीं करेगा। कोई मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के अधीन किसी उत्पाद पदाधिकारी के विरुद्ध लगाये गये किसी आरोप अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध लगाए गए किसी आरोप पर संज्ञान नहीं लेगा।

97. प्रवृत्त रहने वाले आदेश।—राज्य सरकार द्वारा या उत्पाद पदाधिकारी, कलक्टर, बोर्ड या उत्पाद मामलों से संबंधित अधिनियमितियाँ जो उसके अवसान के ठीक पहले लागू था, के अधीन नियुक्त किसी अन्य उत्पाद पदाधिकारी द्वारा बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 (1915 का बिहार और उड़ीसा अधिनियम II), बिहार उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 1973, बिहार उत्पाद (संशोधनकारी एवं विधिमान्यकारी) अधिनियम, 1981, बिहार और उड़ीसा उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 1985 तथा बिहार उत्पाद (संशोधनकारी एवं विधिमान्यकारी) अधिनियम, 1995, बिहार उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का बिहार अधिनियम 3), बिहार मद्यनिषेध अधिनियम, 1938 (1938 का अधिनियम 6) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, अधिसूचना, नियम या विनियम, जहाँ तक ऐसा आदेश या अधिसूचना या नियम या विनियम इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हों, इस अधिनियम के अधीन बनाए गये समझे जायेंगे तथा लगातार प्रवृत्त माने जायेंगे।

98. निरसन और व्यावृत्ति।—

- (1) बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 (बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915) जिसमें इसका संशोधनकारी अधिनियम जो बिहार उत्पाद (संशोधन) अधिनियम कहलाता है, शामिल है, बिहार उत्पाद (संशोधनकारी एवं विधिमाम्यकारी) अधिनियम, 1981, बिहार और उड़ीसा उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 1985, बिहार उत्पाद (संशोधनकारी एवं विधिमाम्यकारी) अधिनियम, 1995 और बिहार उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2016 (बिहार अधिनियम 3, 2016) के साथ बिहार मद्यनिषेध अधिनियम, 1938 (1938 का 6) एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस अधिनियम के संगत उपबंधों के अधीन किया गया या की गयी समझी जाएगी।
- (3) इस प्रकार निरसित अधिनियम के किसी प्रावधान के किसी अधिनियमन के समस्त संदर्भ इस अधिनियम के संगत उपबंधों के संदर्भों के रूप में समझे जाएंगे।
- (4) इस अधिनियम के आरंभ के ठीक पूर्व किसी पदाधिकारी, प्राधिकार या न्यायालय के समक्ष लंबित समस्त कार्यवाहियाँ (जिनमें अन्वेषण के रूप में कार्यवाहियाँ शामिल हैं) ऐसे प्रारंभ पर इस अधिनियम के अनुसार इसके समक्ष लंबित कार्यवाहियाँ समझी जायेंगी और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।

99. विधिमाम्यकरण।—किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकार के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी,

- (क) बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 (1915 का बिहार और उड़ीसा अधिनियम II) बिहार मद्य निषेध अधिनियम, 1938 (1938 का अधिनियम 6), बिहार उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 1973, बिहार उत्पाद (संशोधनकारी एवं विधिमाम्यकारी) अधिनियम, 1981, बिहार और उड़ीसा उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 1985, बिहार उत्पाद (संशोधनकारी एवं विधिमाम्यकारी) अधिनियम, 1995 तथा बिहार उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2016 (बिहार अधिनियम 3, 2016) के उपबंध सभी प्रयोजनों के लिए, हमेशा प्रवृत्त समझे जायेंगे मानो बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 (1915 का बिहार और उड़ीसा अधिनियम II) तथा बिहार मद्यनिषेध अधिनियम, 1938 (1938 का 6) पूर्वोक्त संशोधनों द्वारा यथा संशोधित, के उपबंध सभी तात्त्विक समय में प्रवृत्त रहे हों;
- (ख) कोई वाद या अन्य कार्यवाहियाँ, पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण या प्राधिकार में उस न्यायालय या न्यायाधिकरण या प्राधिकार द्वारा बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 (1915 का बिहार और उड़ीसा अधिनियम II) तथा पूर्वोक्त संशोधनकारी अधिनियम और बिहार मद्य निषेध अधिनियम, 1938 (1938 का 6) के उपबंधों के अधीन दिये गये किसी आदेश या निदेश या डिक्री के प्रवर्तन के लिए बनाए नहीं रखी जायेंगी या जारी नहीं रखी जायेंगी जैसा कि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के प्रारंभ होने से पहले था।

100. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।—

- (1) इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जिसे वह कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन समझे।
- (2) इस धारा के अधीन निर्गत प्रत्येक अधिसूचना, इसके निर्गत होने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाएगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

संजय कुमार,

सरकार के सचिव।

2 अक्टूबर 2016

सं0 एल0जी0-01-14/2016/187/लेजः।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापास्त और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 7 सितम्बर, 2016 को अनुमत बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

संजय कुमार,

सरकार के सचिव।

[Bihar Act 20, 2016]
BIHAR PROHIBITION AND EXCISE ACT, 2016
 AN
 ACT

to enforce, implement and promote complete Prohibition of liquor and intoxicants in the territory of the State of Bihar and for matters connected therewith or incidental thereto.

Whereas it is expedient to provide for a uniform law relating to Prohibition and regulation of liquor and intoxicants, the levy of duties thereon and punishment for the violation of law in the State of Bihar;

Now, therefore be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Sixty-Seventh year of the Republic of India as follows:-

Chapter I
PRELIMINARY

1. Short title, extent and Commencement.-

- (1) This Act may be called the **BIHAR PROHIBITION AND EXCISE ACT, 2016**.
- (2) *It shall extend to the whole of the State of Bihar.*
- (3) It shall come into force on the day of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions-In this Act, unless otherwise required in the context—

- (1) “**The Act**” means the Bihar Prohibition and Excise Act, 2016
- (2) “**Alcohol**” means Ethyl Alcohol having a colourless volatile flammable organic liquid which is produced by a natural or yeast fermentation of sugars and is intoxicating constituent of wine, beer, spirits, and other alcoholic beverages, and is also used as an industrial solvent and as fuel;
- (3) “**alcoholic**” means a solution or mixture containing alcohol and being of any strength and purity;
- (4) “**alcoholic beverage or potable liquor**” means any beverage containing alcohol in conformity with the BIS standards which may be intoxicating and is fit for human consumption;
- (5) “**beer**” means any liquor prepared from malt or grain with or without addition of sugar and hops and includes beer, ale, stout, porter and such other substances;
- (6) “**BIS standards**” means standard prescribed by Bureau of Indian Standards or the standards prescribed by any other Central Government authority, constituted under the relevant Act;
- (7) “**Board**” means the Board of Revenue;
- (8) “**black jaggery**” means coarse brown sugar made from palm or cane juice ordinarily unfit for human consumption but contains sufficient quantity of fermentable sugar for manufacture of ethyl alcohol;
- (9) “**blending**” means mixing of two or more spirits which may be of different strengths and different qualities;
- (10) “**bonded warehouse**” means a licensed private bonded warehouse or a part of public bonded warehouse, established under this Act for storing liquor on which duty has not been paid;
- (11) “**to bottle**” means to transfer liquor from a cask or other vessel to a bottle or any other receptacle for the purpose of sale, whether any process of rectification be employed or not; and includes re-bottling;
- (12) “**bottling plant**” means premises where bottling of liquor is done and includes every place therein where it is stored or wherefrom it is issued;
- (13) “**brewery**” means premises where beer is manufactured and includes every place therein where beer is stored or wherefrom it is issued;
- (14) “**compounding**” means the manufacture of alcoholic beverage by addition to spirit of a flavoring or a coloring matter or both;
- (15) “**Collector**” means Collector-cum-District Magistrate of a district and includes the Additional Collector-cum- Additional District Magistrate or Deputy Collector or

any person appointed by the Government to exercise the powers and perform the functions of the Collector-cum- District Magistrate under the Act

- (16) **“country or traditional liquor”** means
 - plain or spiced spirit made from mahua, rice, gur, molasses or grains; or
 - plain or spiced spirit made from silent spirit or extra neutral alcohol; or
 - Tari, or
 - all fermented liquors, including pachwai, made from mahua, rice, millet or other grains according to native processes.
- (17) **“De addiction Center”** means a center set up by the State Government to treat the addicts of their addiction;
- (18) **“denaturant”** means any substance prescribed by rule made under this Act, for admixture with spirit to render the mixture unfit for human consumption, whether as a beverage, or internally as a medicine, or any other way whatsoever;
- (19) **“to denature”** means to mix spirit with one or more denaturants in such a manner as may be prescribed by rule made in this behalf under this Act, and “denatured spirit” means spirit so mixed;
- (20) **“Distillery”** means premises where spirit or ethanol is manufactured and includes every place therein where it is stored or wherefrom it is issued;
- (21) **“duty”** means the excisable duty or the countervailing duty as mentioned in Entry 51 of List II of Seventh Schedule of the Constitution, or as the case may be;
- (22) **“excisable articles or items”** means –
 - (i) any liquor or intoxicant as defined under this Act; or
 - (ii) any intoxicating drug; or
 - (iii) any intermediate/final product that serve as raw material to any alcohol; or
 - (iv) Any item or substance that can be used as a substitute of alcohol; or
 - (v) Any item or substance that can be used or consumed for the purposes of intoxication.
- (23) **“Excise Commissioner”** means the officer appointed under section-5 of this Act;
- (24) **“Excise Officer”** means the Collector or any officer appointed under Section-6 of the Act;
- (25) **“excise revenue”** means revenue derived or derivable from any duty, fee, tax, payment (other than a fine imposed by a Criminal Court) or confiscation imposed or ordered under this Act or any other law for the time being in force relating to liquor or intoxicating drugs;
- (26) **“ethanol”** means a clear, colorless and homogeneous liquid consisting essentially ethyl alcohol admixed with not more than 0.5% by volume of water and conforming to the BIS standard;
- (27) **“export”** means to take out of the State of Bihar otherwise than across a customs frontier as defined by the Central Government;
- (28) **“export out of India”** with its grammatical variations and cognate expressions means taking out of the State of Bihar to any place outside India;
- (29) **“extra neutral alcohol or silent spirit”** means spirit as may be specified by the relevant Central Government Authority;
- (30) **“Family”** means man and his wife living together in a house along with their dependent children;
- (31) **“fermented liquor”** means liquor obtained by the process of fermentation and includes beer, ale, stout, porter, wine, pachwai, fermented tari and any other similar liquor;
- (32) **“foreign liquor”** means any liquor imported by land, air or sea into India;
- (33) **“final product”** means end product of a process along with such other by-product which a bottling plant, distillery, molasses manufactory or any other manufactory may generate as a result of a primary/secondary process and includes liquor, intoxicant, intoxicating drugs, spirit, molasses, ethanol, extra neutral spirit, and such other alcoholic substances.

- (34) **“hemp plant”** means any plant of the genus *cannabis*;
- (35) **“hologram and holographic sticker”** means the label as approved by the Excise Commissioner, containing the batch number of each bottling operation, besides the name of the manufacturer and the brand. Holographic stickers are those stickers, supplied on payment of cost by the manufacturer to the authorized printer(s) through the Excise Commissioner.
- (36) **“illicit liquor”** means any liquor manufactured or stored or distributed or sold, in contravention of the provisions of this Act or the rules framed there under or liquor on which appropriate duty or fee leviable under this Act or the rules framed there under, has not been paid and includes foreign liquor on which appropriate duty or customs has not been paid;
- (37) **“import”** except the phrase “import into India” means to bring into the State of Bihar other wise than across a customs frontier as defined by the Central Government;
- (38) **“import into India”** with its grammatical variations and cognate expressions, means bringing into the State of Bihar from any place outside India;
- (39) **“Indian made foreign liquor”** means liquor manufactured in India by process of distillation or using alcohol obtained by distillation such as whiskey, brandy, rum, gin, vodka, liqueurs, beer and other low alcoholic beverages but does not include foreign liquor or country liquor ;
- (40) **“intoxicant”** means –
- (i) liquor, or
 - (ii) Spirit including silent spirit or ENA, or
 - (iii) Methyl Alcohol, or
 - (iv) Ethanol, whether denatured or not; or
 - (v) any substance from which the liquor may be distilled and which is declared by the State Government by notification in the official Gazette to be an intoxicant for the purpose of this Act, or
 - (vi) intoxicating drug, or
 - (vii) medicinal preparation as defined under Medicinal and Toilet Preparations (Excise Duties) Acts, 1955 or
 - (viii) any preparation or ingredient, either medicinal or otherwise, whether solid, semi solid, liquid, semi liquid or gaseous, either made locally or otherwise, that may serve as an alcohol or a substitute for alcohol and is used or consumed for the purposes of getting intoxicated.
- (41) **“intoxicating drug”** means –
- (i) the leaves, small stalks and flowering or fruiting tops of the Indian hemp plant (*Cannabis Sativa L*) including all forms known as *bhanga*, *siddhi* or *ganja*
 - (ii) *charas*, that is, the resin obtained from the hemp plant, which has not been submitted to any manipulations other than those necessary for packing and transport;
 - (iii) any mixture, with or without neutral materials, of any of the above forms of intoxicating drug, or any drink prepared there from; and
 - (iv) any other intoxicating or narcotic substance which the State Government may, by notification, declare to be an intoxicating drug, such substance not being opium, coca leaf or a manufactured drug, as defined in section 2 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985);
- (42) **“license”** means a license granted under this Act and the rules framed there under;
- (43) **“licensing authority”** means an officer who is authorized to grant, suspend and cancel license, permit and pass under this Act;
- (44) **“Liquor”** means country or traditional liquor, Indian Made Foreign Liquor, foreign liquor or any preparation or ingredient, whether solid, semi solid, liquid, semi liquid or gaseous, either made locally or otherwise, that may serve as an alcohol or a

- substitute for alcohol and is used or consumed for the purposes of getting intoxicated;
- (45) “**manufactory**” means any sugar mill, distillery, brewery, winery or any establishment distilling, brewing, manufacturing, blending or bottling liquor or intoxicant;
- (46) “**manufacture**” includes –
- (i) every process, whether natural or artificial, by which any intoxicant is produced or prepared (including the tapping of *tari* producing trees and the drawing of *tari* from trees),
 - (ii) redistillation, and
 - (iii) every process for the rectification, flavoring, blending, or coloring of liquor, or for reduction of liquor for sale;
- (47) “**manufacturer**” means any person who manufactures any liquor or intoxicants and includes a manufacturer of alcohol;
- (48) “**methyl alcohol**” means
- the substance having the chemical formula of CH_3OH which is also known as Methanol, carbinol or methyl hydrate and highly poisonous in nature; or
 - any mixture, with or without neutral materials of methyl alcohol as defined above containing not less than 0.05% by volume of methyl alcohol and includes wood naphtha;
- (49) “**Molasses manufactory**” means premises where molasses is manufactured and includes every place there in where it is stored or wherefrom it is issued and includes sugar mills;
- (50) “**Notification**” means a notification issued under this Act and the rules framed there under and published in the Official Gazette.
- (51) “**pachwai**” means fermented rice, millet or other grain – whether mixed with any liquor or not, and any liquor obtained there from, whether diluted or undiluted; but does not include beer;
- (52) “**permit**” means an authorization granted under this Act and/or the rules framed there under;
- (53) “**place**” includes building, house, shop, boat, booth, vessel, raft, vehicle, conveyance or tent enclosure;
- (54) “**Public Place**” means any place to which public has access whether as a matter of right or not and includes all places visited by public and also includes any open space or any transport, whether public or private;
- (55) “**police station**” means a police station as defined under clause (s) of Section 2 of the Code of the Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974);
- (56) “**prescribed**” means prescribed by rules made under this Act;
- (57) “**Public Demand**” means public demand as defined under Bihar & Orissa Public Demands Recovery Act, 1914 (Act 4 of 1914).
- (58) “**premises**” means real estate, land and the improvements on it, a building, store, shop, hotel, restaurant, bar, or other designated structure for the purpose of this Act
- (59) “**rectification**” includes every process whereby spirit is purified or is colored or flavored by mixing any material therewith;
- (60) “**rectified spirit**” means un-denatured alcohol, including absolute alcohol, extra neutral alcohol and alcohol derived from malt as may be specified by the BIS standard;
- (61) “**Rules**” means Rules made under this Act.
- (62) “**relevant laws**” means the Indian Power Alcohol Act, 1948 (22 of 1948), the Motor Spirit Taxation Act, the Medicinal and Toilet Preparations (Excise Duties) Act, 1955 (16 of 1955), the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985) and such other Acts relevant to the administration of this Act;
- (63) “**special duty**” means a tax on the import of any excisable article being an article on which countervailing duty as is mentioned in Entry 51 of List II of the Seventh

- Schedule to the Constitution of India is not imposable on the ground merely that such article is not being manufactured or produced in the territory to which the Act extends;
- (64) “**spirit**” means any liquor containing alcohol obtained by distillation, whether it is denatured or not;
 - (65) “**spirituous preparation**” means -
 - (a) any medicinal or toilet preparation containing alcohol;
 - (b) any antiseptic preparation or solution containing alcohol;
 - (c) any flavoring extract, essence or syrup containing alcohol;
 - (66) “**spurious liquor**” means liquor which has been adulterated with an object to bring intoxication and is harmful to consumers;;
 - (67) “**still**” includes any apparatus or part thereof, for distillation or manufacture of spirit
 - (68) “**State Government**” means the State Government of Bihar.
 - (69) “**tari**” means fermented or unfermented juice drawn from Cocanut, Palmyra, Date or other kind of Palm tree;
 - (70) “**temporary structure**” means any structure which does not require foundation to be erected and is easy to dismantle, very easy to change the configuration of the structure and which cannot be sealed completely for the purpose of this Act
 - (71) “**transit**” means to move from one State to another through the State of Bihar;
 - (72) “**transport**” means to remove from one place to another within the State of Bihar.
 - (73) “**warehouse**” means a place where storage of liquor or intoxicant is permitted and includes the relevant part of the manufactory;
 - (74) “**wine**” means afermented juice of grapes or other fruits with or without the addition of sugar or jaggery containing self-generated alcohol and includes fortified wine;
 - (75) “**winery**” means—premises where wine is manufactured and includes every place therein where wine is stored or wherefrom it is issued.

3. Power to declare intoxicant.—Notwithstanding anything mentioned under subsection (40) of section 2 of this Act, the State Government may, by notification, declare for the purposes of this Act or any portion thereof such items or commodities or chemical ingredients, which can be used as a substitute for alcohol, to be intoxicants with such restrictions or conditions as may be specified in the notification.

4. Saving of certain Acts.—Nothing in this Act shall affect the provisions of –

- (a) The Customs Act, 1962 (Act 52 of 1962) or
- (b) The Cantonments Act, 2006, (41 of 2006)

Chapter II

ESTABLISHMENT AND CONTROL

5. Appointment of Excise Commissioner.—The State Government may, by notification, appoint an Excise Commissioner who shall be responsible for administration of this Act.

6. Appointment of Excise Officers.—The State Government may confer the powers of excise officer to Excise Commissioner, Additional Commissioners, Joint commissioners, Deputy Commissioners, Assistant Commissioners, Excise Superintendents, Excise Deputy Superintendents, Inspectors and such other officers and staff as it may deem fit for the purpose of performing the functions under this Act.

7. Delegation and withdrawal of powers.—(1) The State Government may delegate its powers to the Board or Excise Commissioner or Collector subject to such limitations and conditions as may be specified in the order of delegation.

(2) The State Government may, by an order, also withdraw from any officer or person any or all the powers so delegated.

8. Role of the Collector.—(1) The Collector of the district shall be responsible for the complete prohibition in accordance with the provisions of this Act and shall also ensure the administration of this Act in the area of his jurisdiction;

(2) The Collector shall also be responsible for all matters connected with the effective prosecution of cases filed under the Act;

(3) The Collector shall also be competent to exercise the powers of the Excise Officer under the Act;

(4) The State Government may, by notification, confer the powers of the Collector to any officer, not below the rank of Inspector, of the excise department or any officer, not below the rank of Deputy Collector, of the revenue department, with such designations, powers and duties as the State Government may think fit.

9. Role of the Superintendent of Police.—The Superintendent of Police shall –

- (a) assist the Collector in ensuring complete prohibition in accordance with the provisions of the Act;
- (b) work under direct control and superintendence of the Collector;
- (c) enforce and implement such lawful directions of the Collector or Excise Commissioner as issued under the Act;
- (d) submit such reports and in such manner as the Collector or the Excise Commissioner may desire.

10. Powers and functions of the Excise Commissioner.—The Excise Commissioner shall-

- (a) enforce complete prohibition in the State in accordance with the provisions of this Act;
- (b) promote culture of non drinking and make Prohibition a voluntary effort through social awareness;
- (c) regulate, control and monitor the manufacture, possession, import, export, and transport of intoxicants;
- (d) curb illegal trade in liquor and illicit distillation;
- (e) protect excise revenue and ensure prompt recovery;
- (f) submit returns and information as required under this Act or the rules framed thereunder, to the State Government upon all matters concerning excise;
- (g) perform such functions and to exercise such other powers as may, from time to time, be entrusted or delegated to him.

11. Excise Intelligence Bureau.—(1) There shall be an Excise Intelligence Bureau, headed by the Excise Commissioner, consisting of such number of excise officers and staff as may be appointed by the State Government and such other officers and staff as may be appointed by the Excise Commissioner with the prior approval of the State Government.

(2) The Excise Intelligence Bureau shall -

- (a) work towards the success of complete Prohibition of liquor and Intoxicants;
- (b) collect intelligence, keep surveillance and maintain details of excise offences;
- (c) collect and disseminate information regarding habitual or notorious excise offenders;
- (d) monitor the detection, investigation and trial of offences under this Act.

12. Persons with special powers.—The State Government may, by notification, and in order to further strengthen the regime of Prohibition, empower in any Government functionary not being an excise officer, with powers to perform all or any of the functions of any excise officer under this Act, and such person shall, in exercise of these functions, be deemed to be an excise officer.

Chapter III

PROHIBITION ETC. OF INTOXICANTS

13. Prohibition of liquor or intoxicants.—No person shall manufacture, bottle, distribute, transport, collect, store, possess, purchase, sell or consume any intoxicant or liquor;

Provided that the State Government may, by notification, allow renewal of the existing licensees for manufacturing, blending, compounding, bottling, storage, import and export of any liquor or intoxicant subject to the provisions of this Act;

Provided also that the State Government may, by notification, allow any state owned company to undertake such activities as may be required under the Act.

Explanation – The words “Existing Licensee” mean persons, firms etc who are holding a valid license on the day of this Act coming into force.

14. Movement of Intoxicants etc.— (1) No liquor, intoxicant or final product shall be imported, exported or transported or transited within or from outside or through the State except with a valid permit and subject to such duty (if any) payable;

(2) If any consignment of liquor or intoxicants is being transported by road from a place outside the State of Bihar to another such place and the vehicle carrying the consignment passes through the territory of the State, the driver or any other person in-charge of the vehicle shall obtain transit permission in the prescribed manner from the authority of the first check post falling enroute after entry into the State and shall surrender the same transit permission to the authority of the last check-post before leaving the State and in the event of failure to do so within the stipulated hours of leaving the first check-post falling enroute, it shall be deemed that liquor or intoxicants so transported have been sold or disposed off by the owner or the person-in-charge of the vehicle within the State of Bihar.

(3) In case the driver or person referred to in sub-section (2) fails to comply with the provisions of sub-section (2), he may, apart from being levied such penalty as the State Government may decide, also be prosecuted under section 30 of this Act;

(4) The State Government may make detailed rules for this purpose.

15. Restrictions on Vehicles carrying intoxicants etc.—The State Government may lay down reasonable restrictions on the vehicles transporting any excisable articles or final products and may require them to adhere to certain specifications.

Provided further that the State Government may require the transport vehicles to install such devices as it may require as a pre condition for registration under the Motor Vehicles Act and give such directions to the State Transport Authority as it deems fit.

16. Power to Regulate Transport of Intoxicants.—Notwithstanding anything contained in the Act or any Act for the time being in force, the State Government may, by notification, regulate the movement or import or export of any or all liquor or intoxicant into or from or through the State or any specified part or area of the State.

Chapter IV

RENEWAL OF LICENSE AND PERMIT TO THE EXISTING LICENSEES

17. Renewal of Licenses for Distilleries, breweries, etc.— (1) No new licenses shall be issued to any manufactory, distillery, molasses manufactory, brewery, bottling plant etc;

Provided that the Collector may issue a license or permit, as the case may be, only for intoxicants that may be declared as such by the State Government under Section 3 of this Act.

(2) The Collector may renew the license or issue the permit, as the case may be, for the existing licensee of any manufactory, distillery, molasses manufactory, brewery, bottling plant etc, subject to the provisions of this Act.

(3) The State Government may make rules governing the licensing regime.

(4) The licensing authority may require the licensee to give security for the observance of the terms and conditions of the license and to execute an agreement thereon.

Explanation – The words “Existing Licensee” means persons, firms etc who are holding a valid license on the day of this Act coming into force.

18. Non Transferability of Licenses & permits.—All Licenses renewed and permits issued under this Act shall be non transferable.

19. Powers of the Board.—The Board of Revenue shall have the power to exercise such authority as may be delegated to it by the State Government.

20. Qualifications for grant of license.—The applicant for a renewal of license or issuance of permit, as the case may be –

- (a) must be a citizen of India or a company registered in India;
- (b) should not be a defaulter or blacklisted or debarred from holding an excise license or in arrears of any government dues;
- (c) should be solvent and bear good moral character and should not have been convicted of any offence under this Act or any other Act;

- (d) should not hire or employ persons who are below twenty one years of age or who have criminal background.

21. Holograms.—(1) The State Government may require any molasses manufactory, distillery, license-holder, distributors, sellers, importers, exporters, bottling plant or such other establishments operating under this Act to place holograms on their products as per specifications prescribed by the Excise Commissioner.

(2) The State Government may make detailed rules in this regard.

22. Power to suspend or cancel license and permit.— (1) Subject to such restrictions as the State Government may prescribe, the Authority renewing any license or granting any permit under this Act may suspend or cancel it in the following circumstances after giving reasonable opportunity of being heard -

- (a) if the license or permit is transferred or sublet by the holder thereof without the permission of the licensing authority;
- (b) if any excise revenue payable by the holder thereof is not duly paid;
- (c) in the event of any breach by the holder of such license or permit or by his servant or agent, or by any one acting on his behalf, with his express or implied permission, of any of the terms and conditions of such license or permit;
- (d) if the holder of license or permit or his agent or employee is convicted of an offence punishable under this Act or any other law for the time being in force, relevant and connected with excise matters relating to excise revenue or of any cognizable and non-bailable offence under any other relevant law;
- (e) if the purpose for which the license or permit was granted ceases to exist;
- (f) if the license or permit has been obtained through misrepresentation or fraud.
- (g) if, for any other reason, the Licensing Authority is prima facie satisfied, that the license is fit to be cancelled.

(2) For any action taken under Sub-Section (1), the Licensee shall not be eligible for any compensation or refund of fee or deposit whatsoever.

23. Bar to the right of renewal and to compensation.—No person to whom a license or permit has been granted earlier shall be entitled to claim any renewal thereof as a matter of right, and no claim shall lie for damages or otherwise in consequence of any refusal to renew a license or permit on the expiry of the period for which the same remains in force.

24. Power of the State Government to withdraw or not to renew a license.— (1) The State Government may at any time decide either to withdraw or not to renew a license issued to any manufactory, distillery, molasses manufactory, brewery, bottling plant etc in the entire State of Bihar or any part thereof.

(2) For any action taken under Sub-Section (1), nothing shall be paid in consequence thereof, except any license fee or deposit paid in advance after deducting any amount recoverable by the Government.

25. Power of the Collector to take over the Management.—If any holder of a license renewed under this Act contravenes any provision of the Act or any rules made there under or defaults in complying with any condition imposed upon him or upon refusal to abide by such reasonable directions as the Collector may issue under this Act, or upon expiry of the license or withdrawal of the license, the Collector, may at any time, with or without cancellation of such license or privilege -

- (a) take over the management of such establishment at the risk and loss of the owner of that establishment; or
- (b) transfer the establishment, for the unexpired period of the License or the privilege, at the risk and loss of the owner, to any other person.

Chapter V EXCISE REVENUE

26. Nature and components of excise revenue.—Excise revenue shall be levied and recovered under the following heads, namely:-

- (a) duty;
- (b) license fee;
- (c) label registration fee; import or export or transportation or movement fee;
- (d) Accruals through privilege fee, fines, penalties and other sundry receipts etc; and
- (e) Any other duty, cess, fee or surcharge as the State Government may, by notification, impose.

27. Fees for terms, conditions, and form of, and duration of, licenses, permits and passes.— (1) Every license renewed or permit/ pass granted under this Act -

- (a) shall be renewed or granted -
 - (i) On payment of such fees (if any), and
 - (ii) Subject to such restrictions and on such conditions, and
- (b) shall be in such form and contain such particulars, as the Rules may provide.

(2) Every license renewed or permit or pass granted under this Act shall be for such period (if any) as prescribed by rule made by the State Government under this Act.

28. Excise revenue to be paid irrespective of pendency of any writ petition, suit, etc.— Notwithstanding that a writ petition has been preferred or a suit or other proceeding has been instituted in any court or any appeal has been filed before any Tribunal or the Excise Commissioner or a revision has been filed before the State Government, any sum due to the State Government under this Act as a result of demand or order made or passed by any officer or authority empowered in this behalf by or under this Act, shall be payable in accordance with such demand or order unless and until such payment has been stayed by the competent authority or the Court.

29. Power to impose duty on import, export, transport and manufacture.—(1) An excise duty or a countervailing duty or any other duty or fee, as the case may be, at such rate or rates as the State Government may direct, may be imposed, either generally or for any specified local area on -

- (a) any excisable article imported, or
- (b) any excisable article exported, or
- (c) any excisable article transported, or
- (d) any excisable article manufactured under any license issued or renewed under this Act, or
- (e) any excisable article manufactured in any distillery or brewery licensed, established, authorized or continued under this Act.

Explanation-(1) – Duty may be imposed on any article under this sub-section at different rates according to the places to which such article is to be removed for consumption, or according to the varying strength and quality of such article.

(2) A duty, at such rate or rates as the State Government may direct, may be imposed, either generally or for any specified local area, on any intoxicant under the provisions of this Act.

Chapter VI OFFENCES AND PENALTIES

30. Penalty for unlawful import, export, transport, manufacture, possession, sale, etc.— Whoever, in contravention of provision of this Act or of any rule or order made or notification issued under this Act or in contravention of any condition of any license or permit or pass, renewed under this Act or without a valid license, permit or pass issued under this Act -

- (a) manufactures, possesses, buys, sells, distributes, collects, bottles, imports, exports, transports or removes any intoxicant or liquor; or
- (b) cultivates any hemp plant; or
- (c) constructs or establishes or works any manufactory, distillery, brewery or warehouse; or
- (d) uses, keeps or has in his possession any material, still, utensil, implement or apparatus, or premises, whatsoever, for the purpose of manufacturing any intoxicant or liquor ;or

Explanation – The word “material” means any material, and includes any food or non food item, that may be used for preparing any liquor or intoxicant.

- (e) possesses any material or film either with or without the State Government logo or logo of any State or wrapper or any other thing in which liquor or intoxicant can be packed or any apparatus or implement or machine for the purpose of packing any liquor or intoxicant; or
- (f) removes any liquor or intoxicant from any distillery, brewery, warehouse, other place of storage licensed, established, authorized or continued under this Act; or
- (g) manufactures, possesses, sells, distributes, bottles, imports, exports, transports or removes, any preparation or ingredient made with or without the use of any intoxicant or liquor, which can serve as an alcohol or a substitute for alcohol and is used or likely to be used or consumed for the purposes of getting intoxicated, shall be punishable with imprisonment for a term not less than ten years but which may extend to imprisonment for life and with fine which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to ten lakh rupees.

Explanation: -“Possession” here means the possession by any family or member of that family and includes the knowledge of possession where any member of a family or the family itself know that such possession is illegal, whether it is in his or her own possession or with some other member of the family.

31. Commission of offence by companies.— (1) If the person committing an offence under this Act is a company, the company as well as every person in charge of and responsible to, the company for the conduct of its business at the time of commission of the offence, shall be deemed to be guilty of offence, and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Provided that where a company has different establishment or branches or different units in any establishment or branch, the concerned Chief Executive and the person in charge of such establishment, branch, unit nominated by the company as responsible for the conduct of business shall be liable for contravention in respect of such establishment, branch or unit:

Provided further that nothing in this sub-section shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or that the commission of the offence is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary, or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

(3) This section shall not apply to such companies where the majority shareholding is held by Central or any State Government or such companies as the Board may exempt.

Explanation— For the purpose of this section -“company” means any body corporate and includes a firm or other association of individuals; and “director”, in relation to the firm, means a partner in the firm.

32. Presumption as to commission of offence in certain cases.— (1) In prosecution under any relevant provision of this Act, it shall be presumed, until the contrary is proved, that the accused person has committed the offence punishable under that section in respect of any liquor, intoxicant, material, still, utensil, implement or apparatus, for the possession of which he is unable to account satisfactorily.

(2) Where any equipment, machinery, animal, vessel, cart, vehicle, conveyance or any premises is used in the commission of an offence under this Act, and is liable to confiscation and/or liable to be sealed, the owner or occupier thereof shall be deemed to be guilty of such offence and such owner or occupier shall be liable to be proceeded against and punished accordingly, unless he satisfies the court that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised due care in the prevention of the commission of such an offence.

(3) Where an offence is said to have been committed,

-at a place or inside any premises where any toxicant or liquor is found, consumed, manufactured, sold or distributed, or

-inside any house occupied by a family where any intoxicant or liquor is found or consumed, it shall be presumed that all the adults above the age of eighteen occupying or working at the place or in the premises or the members of the family above eighteen years of age occupying the house are having the knowledge of commission of such an offence, unless proved otherwise.

33. Penalty for rendering denatured spirit fit for human consumption.—Whoever alters or attempts to alter any denatured spirit with the intention to make it fit for human consumption, whether as a beverage or as a medicine, or in any other way and by any other method or has in his possession any spirit in respect of which he knows or has reason to believe that such attempt has been made, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than ten years but which may extend to imprisonment for life and with fine, which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to ten lakh rupees.

Explanation: -“Possession” here means the possession by any family or member of that family and includes the knowledge of possession where any member of a family or the family itself know that such possession is illegal, whether it is in his or her own possession or with some other member of the family.

34. Penalty for mixing noxious substance with liquor. – Whoever,

- (a) mixes or permits to be mixed with any liquor sold or manufactured or possessed by him, any noxious drug or any foreign ingredient; or
- (b) makes, sells or possesses any preparation, whether solid, semi solid, liquid, semi liquid or gaseous, either made locally or otherwise, that may serve as an alcohol or a substitute for alcohol and is used or consumed for the purposes of getting intoxicated. ,

which is likely to cause disability or grievous hurt or death to human beings, shall be punishable -

- (i) if as a result of such an act, death is caused, with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine, which shall not be less than five lakh rupees but which may extend to ten lakh rupees;
- (ii) if as a result of such an act, disability or grievous hurt is caused to any person, with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than ten years but which may extend to imprisonment for life, and with fine which shall not be less than two lakh rupees but which may extend to ten lakh rupees;
- (iii) if as a result of such an act, any other consequential injury is caused to any person, with imprisonment for a term which shall not be less than eight years but which may extend to life imprisonment and with fine, which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to ten lakh rupees;
- (iv) if as a result of such an act, no injury is caused, with imprisonment which shall not be less than eight years but which may extend to ten years and fine which shall not be less than one lakh rupees but may extend to five lakh rupees.

Explanation 1 – For the purpose of this section the expression “grievous hurt” shall have the same meaning as in section 320 of the Indian Penal Code, 1860 (XLV of 1860).

Explanation 2: -“Possession” here means the possession by any family or member of that family and includes the knowledge of possession where any member of a family or the family itself know that such possession is illegal, whether it is in his or her own possession or with some other member of the family.

35. Penalty for committing fraud. – Whosoever,

- (a) sells or keeps or exposes for sale as foreign liquor imported into India, any liquor which he knows or has reason to believe to be Indian made foreign liquor or country liquor; or

- (b) sellor keeps or exposes for sale, as Indian made foreign liquor, any liquor which he knows or has reason to believe to be country liquor; or
- (c) labels any bottle, case, package or other receptacle containing country liquor or Indian made foreign liquor, or the cork of any such bottle, or deals with any bottle, case, package or such other receptacle containing country liquor or Indian made foreign liquor or deals with any bottle, case, package or other receptacle containing country liquor or Indian made foreign liquor with the intention of causing it to be believed that such bottle, case, package or other receptacle contains foreign liquor; or
- (d) labels any bottle, case, package or other receptacle containing country liquor, or the cork of any such bottle, or deals with any bottle, case, package or such other receptacle containing country liquor or deals with any bottle, case, package or other receptacle containing country liquor with the intention of causing it to be believed that such bottle, case, package or other receptacle contains Indian made foreign liquor; or
- (e) camouflages or attempts to camouflage any liquor or liquor bottle in order to cheat any consumer or buyer, by use of any means with the objective to project the liquor what it is not ;
shall be punishable with imprisonment which shall not be less than ten years but which may extend to imprisonment for life and with fine, which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to ten lakh rupees.

36. Penalty for dealing in spurious liquor.—Whoever, manufactures, possesses, sells, distributes, bottles, imports, exports, or transports any spurious liquor, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than ten years but which may extend to imprisonment for life and with fine, which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to ten lakh rupees.

Explanation: -“Possession” here means the possession by any family or member of that family and includes the knowledge of possession where any member of a family or the family itself know that such possession is illegal, whether it is in his or her own possession or with some other member of the family.

37. Penalty for consumption of liquor.—Whoever, in contravention of this Act or the rules, notification or order made there under -

- (a) consumes liquor or intoxicant in any place; or
 - (b) is found drunk or in a state of drunkenness at any place; or
 - (c) drinks and creates nuisance or violence at any place including in his own house or premises; or
 - (d) permits or facilitates drunkenness or allows assembly of drunken elements in his own house or premises;
- shall be punishable,
- (1) in case of an offence falling under clause (a) and (b), with a term which shall not be less than five years but which may extend to seven years and with fine, which shall not be less than one lakh rupees which may extend to ten lakh rupees.
 - (2) In case of an offence falling under clause (c) and (d), with a term which shall not be less than ten years but which may extend to imprisonment for life and with fine, which shall not be less than one lakh rupees which may extend to ten lakh rupees.

Explanation (a)— “Consuming intoxicant” includes consumption of any medicine or any ingredient of a medicine or medicinal preparation that may have an intoxicating effect.

Explanation (b)— “drunkenness” includes drunkenness due to any medicine or medicinal preparation.

38. Penalty for possession or knowledge of possession of intoxicant.— If any person has

- (1) in his possession, without lawful authority, any liquor or intoxicant, knowing or having reason to believe the same to have been unlawfully imported, transported, manufactured, or knowing or having reason to believe that the prescribed duty has not been paid thereon; or

(2) any knowledge about the possession or storage without lawful authority, of liquor or intoxicant, in his premises or the premises that he is occupying and if he fails to inform the nearest excise officer or the police officer, then;

he shall be punished with imprisonment for a term which may not be less than eight years but which may extend to ten years and shall also be liable to fine which may extend to ten lakh rupees and in default of payment of fine, shall be punished with a further imprisonment for a term which may extend to one year.

Explanation:--“Possession” here means the possession by any family or member of that family and includes the knowledge of possession where any member of a family or the family itself know that such possession is illegal, whether it is in his or her own possession or with some other member of the family.

39. Penalty for consumption of liquor in chemist’s shop.— (1) If a chemist, druggist, apothecary or a keeper of a dispensary, allows any medicine or medicinal preparation which has been declared by the State Government to be an intoxicant or any liquor or intoxicant which has not been bonafidely medicated for medicinal purposes to be consumed on his business premises by any person, he shall be punishable with a term which shall not be less than eight years but which may extend to ten years and with fine, which shall not be less than one lakh rupees which may extend to ten lakh rupees

(2) If a person consumes any such liquor or intoxicant on such premises, he shall be punishable with a term which shall not be less than five years but which may extend to seven years and with fine, which shall not be less than one lakh rupees which may extend to ten lakh rupees.

40. Penalty for unlawful advertisement.—Whoever prints, publishes or gives an advertisement directly or indirectly in any media, including films & television, or any social platform soliciting the use of any liquor or intoxicant, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than three years but which may extend to five years or with fine which may extend to ten lakh rupees, or with both.

41. Penalty for import, export, manufacture, transport, sale or possession by one person on account of another.— (1) Where any intoxicant or liquor has been imported, exported, manufactured, transported or sold or is possessed by any person on account of any other person and such other person knows or has reason to believe that such import, export, manufacture, transport or sale was or that such possession is, on his account, the intoxicant or liquor shall, for the purpose of this Act, be deemed to have been imported, exported, transported, sold or manufactured by or to be in possession of such other person who shall be punishable with a term which shall not be less than eight years but which may extend to ten years and with fine which may extend up to ten lakh rupees.

(2) Nothing in sub-section (1) shall absolve any person who manufactures, sells or has in possession any intoxicant or liquor on account of another person, from liability to any punishment under this Act or unlawful manufacture, sale or possession of such intoxicant or liquor.

42. Order by Collector to pay compensation.—Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) the Collector, while passing an order under this Act may, if he is satisfied that death or injury has been caused to any person due to consumption of liquor sold in any place, order the manufacturer and/or seller, whether or not he is convicted of an offence, to pay, by way of compensation, an amount not less than four lakh rupees to the legal heirs of each deceased or two lakh rupees to the person to whom grievous hurt has been caused, or twenty thousand rupees to the person for any other consequential injury:

(2) The Collector may recover the said compensation as “Public Demand” under the Public Demands Recovery Act, 1914 (Bihar and Orissa Act IV of 1914).

(3) Any person aggrieved by an order under sub-section (1) may, within thirty days from the date of the order, prefer an appeal to the High Court:

Provided that no appeal can be filed against any order filed under this Section unless 50% of the amount ordered to be paid under sub-section (1) is deposited by the appellant in the court:

Provided further that the High Court may entertain an appeal after expiry of the said period of thirty days if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from preferring the appeal in time.

43. Penalty for misconduct of licensees, etc.—Whoever being a holder of a license or permit granted or issued under this Act or being in the employment of such holder and acting on his behalf, -

- (a) Fails to produce such license or permit on demand by any excise officer or any other officer duly empowered to make such demand; or
- (b) Willfully does or omits to do anything in contravention of the conditions of the license or permit not otherwise provided in this Act; or
- (c) fails to cooperate during the inspection by any excise officer of his premises ,
- (d) Fails to submit returns.

shall on conviction , be punished -

(1) In the case of an offence falling under clause (a), with fine which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to ten lakh rupees.

(2) In the case of an offence falling under clause (b), with an imprisonment for a term which shall not be less than five years but may extend to seven years and with fine which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to ten lakh rupees.

(3) In the case of an offence falling under clause (c) and (d), with fine which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to ten lakh rupees and ten thousand rupees per day for subsequent delay.

44. Penalty for employing minors or women in illegal liquor trade.— (1) If any person employs any minor below the age of eighteen years or women for the purposes of hiding, selling, possessing, transporting, or distributing any liquor or intoxicant, he shall be punishable with a term which shall not be less than ten years but which may extend to life imprisonment and with fine, which shall not be less than one lakh rupees which may extend to ten lakh rupees, or with both.

(2) If any person threatens, cajoles, lures or encourages or makes any attempt to threaten, cajole, lure or encourage women or any minor below the age of eighteen, into possessing, storing, distributing, selling, purchasing, transporting or consuming any intoxicant or liquor, he shall be punishable with a term which shall not be less than eight years but which may extend to ten years and with fine, which shall not be less than one lakh rupees which may extend to ten lakh rupees, or with both

45. Penalty for assault and obstruction.—Notwithstanding anything contained in the Indian Penal Code, 1860 (XLV of 1860) any person who assaults or threatens to assault or obstructs or attempts to obstruct any excise officer or police officer or any other officer in the discharge of his official duties shall be punishable with a term which shall not be less than eight years but which may extend to ten years and with fine, which shall not be less than one lakh rupees which may extend to ten lakh rupees.

46. Penalty for non-payment of duty or fee.—If any person fails to pay any duty or fee, which under this Act he is liable to pay, he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than three years but which may extend to five years and also with fine which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to ten lakh rupees.

47. Penalty for allowing premises, etc., to be used for commission of an offence.—Whoever, whether being a licensee under this Act or otherwise, and having the control or use of any house, room, enclosure, space, animal or conveyance, knowingly permits it to be used for commission by any other person of an offence punishable under any provision of this Act, shall be punishable in the same manner as if he had himself committed the said offence.

48. Penalty for attempt to commit an offence.—Whoever attempts to commit an offence punishable under this Act, shall be liable for half the maximum punishment provided for the offence under this Act.

49. Penalty for Contempt of Court.—Every Proceeding under this Act before a Collector or before any officer, of such rank as the State Government may by notification prescribe, who is exercising power of the Collector, shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of section 228 of the Indian Penal Code (45 of 1860) and any person guilty of the offence of contempt shall be punished accordingly.

50. Penalty on excise officer or police officer for making vexatious search, seizure, detention or arrest.—Any excise officer, police officer or any other person who vexatiously and without reasonable ground for suspicion -

- (a) enters or searches or causes to be entered or searched any closed place under color of exercising any power conferred by this Act; or
- (b) seizes the movable property of any person on the pretext of seizing or searching for any article liable to confiscation under this Act; or
- (c) searches, detains or arrests any person; or
- (d) in any other way exceeds his lawful powers under this Act,

shall be liable to imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine which may extend to one lakh rupees or with both.

51. Penalty on excise officer or police officer refusing to do duty.—Any excise officer or police officer who, without lawful excuse, refuses to perform or withdraws himself from the duties of his office, unless expressly allowed to do so in writing by the Excise Commissioner or Collector, or unless he shall have given to his official superior officer two months' notice in writing of his intention to do so, or who shall be guilty of cowardice shall be punishable with imprisonment which may extend to three months or with fine which may extend to ten thousand rupees, or with both.

52. Penalty for offences not otherwise provided for.—Whoever does any act in contravention of any of the provisions of this Act or any rule or order made there under and punishment for which has not been otherwise provided for such contravention, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to seven years or with fine which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to ten lakh rupees or both.

53. Enhanced punishment after previous conviction.—If any person, after having been previously convicted of an offence punishable under this Act, subsequently commits and is convicted of an offence under this Act, he shall be liable to twice the punishment, provided for the first conviction.

54. Failure of land owners, building owners and other persons to give information of unlicensed manufacture or cultivation or consumption—

(1) Whenever any liquor or intoxicant or other excisable item is manufactured, sold, bottled, possessed, stored, consumed or any excisable plant is cultivated in contravention of this Act, the owner or occupier(s) of that land or building or his agents, are bound to give information to the nearest excise official, police official or the Collector as soon as the fact comes to their knowledge.

(2) Failure to give information as per subsection (1) above shall amount to committing an offence and the person concerned shall be liable to be prosecuted under Section 30 and 64 of this Act.

Explanation – For the purposes of this Section, the word “occupier” means and includes all the adult occupiers of the land or building above the age of eighteen.

55. Non-compounding of offences.—Any offence committed in contravention of the provisions of this Act shall be non-compoundable under this Act.

56. Things liable for confiscation.—Whenever an offence has been committed, which is punishable under this Act, following things shall be liable to confiscation, namely -

- (a) any intoxicant, liquor, material, still, utensil, implement, apparatus in respect of or by means of which such offence has been committed;
- (b) any intoxicant or liquor unlawfully imported, transported, manufactured, sold or brought along with or in addition to, any intoxicant, liable to confiscation under clause (a);
- (c) any receptacle, package, or covering in which anything liable to confiscation under clause (a) or clause (b), is found, and the other contents, if any, of such receptacle, package or covering;
- (d) any animal, vehicle, vessel or other conveyance used for carrying the same.
- (e) any premises or part thereof that may have been used for storing or manufacturing any liquor or intoxicant or for committing any other offence under this Act.

Explanation: The word “premises” include the immovable structure, all moveable items within the structure and the land on which the premises is situated.

57. Power of Collector, etc., to order sale or destruction of articles before confiscation.—If the article in question is liable to speedy and natural decay, or if the Excise Commissioner, Collector, Court or the officer authorized by the State Government in this behalf is of opinion that the sale would be in public interest or the sale would be for the benefit of the owner, the Excise Commissioner, Collector, Court or the officer may, at any time, before passing the Order of confiscation, direct such articles to be sold and proceeds be deposited with the Government:

Provided that, where anything is liable to speedy and natural decay, or is of trifling value or which can be put to misuse, the Collector or the officer concerned, may, order such thing to be destroyed, if in its or his opinion such order is expedient in the circumstances of the case.

58. Confiscation by District Collector.—(1) Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, where anything liable for confiscation under this Act is seized or detained under the provisions of this Act, the officer seizing and detaining such property shall, without any reasonable delay submit a report to the District Collector who has jurisdiction over the said area;

(2) On receipt of the report under sub-section (1), the District Collector if satisfied that an offence under this Act has been committed, may, whether or not prosecution is instituted for the commission of such an offence and whether or not a case is pending before any court, order confiscation of such property;

(3) The Collector shall, before passing an order under subsection (2), give a reasonable opportunity to the person concerned, of being heard;

(4) While making an order of confiscation under sub-section (2), the District Collector may also order that such of the properties which the order of confiscation relates, which in his opinion cannot be preserved or are not fit for human consumption, be destroyed. Whenever any confiscated article has to be destroyed in conformity with these provisions, it shall be destroyed in the presence of a Executive Magistrate or officer ordering the confiscation or forfeiture, as the case may be, or in the presence of the Excise Officer not below the rank of a Sub-Inspector;

(5) While making an order of confiscation under sub-section (2), if the District Collector is of the opinion that it is expedient in the public interest to do so, he may order the said property or any part thereof to be sold by public auction or dispose of departmentally and proceeds deposited with the State Government;

(6) The District Collector shall submit a full report of all particulars of confiscation to the Commissioner of Excise within one month of such confiscation.

59. Order of confiscation and destruction not to interfere with other punishment.—The order of any confiscation under section 58 shall not prevent imposition of any order punishment to which the person affected thereby is liable under this Act.

60. Bar of jurisdiction in confiscation.—Whenever any liquor, material, still, utensil, implements or apparatus or any receptacle, package, any animal cart, vessel, or other conveyance used in committing any offence, is seized or detained under this Act, no court shall have, notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force, jurisdiction to make any order with regard to such property.

61. Confiscated articles to vest with the Collector.—When an order for confiscation of any property has been passed under section-57 and such order has become final in respect of the whole or any portion of such property, such property or portion thereof, as the case may be, shall vest with the State Government free from any encumbrance.

62. Premises liable to be sealed.—If it comes to the notice of any Excise officer or any police officer, not below the rank of a Sub Inspector, that any liquor or intoxicant has been found at a particular premises or a particular premises or a part thereof is or has been used for committing any offence under this Act, he may immediately seal the premises and send a report to the Collector for the confiscation of the same.

Provided that if the said premises are temporary structures which cannot be effectively sealed, then the Excise Officer or the police officer, with the order of the Collector, may demolish such temporary structures.

Explanation: The word “premises” here include the immovable structure, all moveable items within the structure and the land on which the premises is situated.

63. Power of Collector to close places where liquor, intoxicant or hemp is sold in certain cases.— (1) If the Collector is of opinion that it is in the interest of public peace to close any place in which any liquor or intoxicant is sold, it shall be lawful for the Collector, by an order in writing to the person holding a license for the sale or manufacture of such intoxicant, to require him to close such place at such time or for such period as may be specified in the order.

(2) If a riot or unlawful assembly is imminent, or takes place, it shall be lawful for any Executive Magistrate who is present to direct that such place shall be closed and kept closed for such period as he thinks fit, and in the absence of any Executive Magistrate, the person referred to in subsection (1) shall, himself, close such place.

(3) Any order given under this section, shall be appealable before Collector, if given by any other Executive Magistrate, and before the Excise Commissioner, if given by the Collector.

64. Collective Fine.— (1) If the Collector is satisfied, whether on a report of any excise officer or police officer or otherwise, that a particular village or town or any locality within a village or town or any particular group/community living in that village or town have been repeatedly violating any of the provisions of this Act or are habitually prone to commit an offence under this Act or are obstructing the administration of this Act, then the Collector may, by an order, impose a suitable collective fine on such group of people living in such area of the town or village and may recover such fine as if they were Public Demands under the Bihar & Orissa Public Demands Recovery Act, 1914 (Bihar and Orissa Act IV of 1914);

(2) The Collector, upon receipt of the report or information under subsection (1), may if consider necessary, conduct or cause such enquiry to be conducted as he deems fit;

(3) The Collector shall, before passing an order under subsection (1), give a reasonable opportunity to the people of the area, of being heard;

(4) Upon hearing the accused persons or upon such an enquiry under subsection (2), the Collector may pass a suitable order which shall be duly proclaimed in the area by such means as the Collector may decide.

65. Power of the State Government to withdraw facilities, privileges etc.— The State Government may, by a notification to be published in the Official Gazette, impose reasonable restrictions or prohibit or withdraw certain facilities, privileges, contracts, licenses, benefits extended under any other Act, schemes, projects etc on the persons charge sheeted under any of the offences in this Act.

Chapter VII

Externment and Internment

66. Externment etc of notorious or habitual offenders.— (1) Where it appears to the Collector that-

- (a) any person is a notorious or habitual offender under this Act, or
- (b) that there are reasonable grounds for believing that any person is engaged or about to engage, in the district or any part thereof, in the commission of any offence punishable under this Act or abetment of such offence;

the Collector shall, by notice in writing, inform him of the general nature of the material allegation against him in respect of clauses (a) or (b) and shall give him a reasonable opportunity of tendering an explanation regarding them;

(2) The person against whom an order under this section is proposed to be made may be allowed to consult and be defended by a counsel of his choice;

(3) The Collector, on being satisfied that the conditions specified in clauses (a) or (b) of subsection (1) exist, may by order in writing-

- (a) direct him to remove himself outside the district or part thereof, as the case may be, by such route, if any, and within such time as may be specified in the order and to resist from entering the district or the specified part thereof, until, the expiry of such period, not exceeding six months as may be specified in the order; and/or

- (b)(i) require such person to notify his movement, or to report himself, or to do both, in such manner, at such time and to such authority or person as may be specified in the order; or
- (ii) prohibit or restrict possession or use by him of such article or excisable item as may be specified in the order; or
- (iii) prohibit or restrict any particular activity or occupation that he is currently engaged in or likely to engage in; or
- (iv) intern him to the nearest De-addiction Center to undergo such treatment or counseling or both under the supervision of such medical expert for such period as may be specified in the order; or
- (v) direct him otherwise to conduct himself in such manner as may be specified in the order;

until the expiry of such period, not exceeding six months, as may be specified in the order.

67. Extension of period of order.—The Collector may, after giving reasons to be recorded in writing and if he is satisfied that in the interest of the general public or any member of the public, the period specified in the order made under section-66, be extended, he shall be competent to extend the period which, however, shall not exceed two years in the aggregate.

68. Permission to return temporarily.—The Collector, may by an order, permit any person in respect of whom an order has been made under Section-66 to enter or return, for temporary period, into or to the area from which he was directed to remove himself, subject to such conditions as the Collector may specify and may at any time rescind any such permission.

69. Nature of evidence.— The Collectormay for the purpose of satisfying himself as to whether the conditions necessary for the making an order under section-65 exist or not take into consideration any evidence which he considers to have probative value and the provisions of the Indian Evidence Act, 1872, shall not apply thereto.

70. Immediate Arrest.—Any excise officer or police officer may arrest, without warrant, any person who has contravened or is likely to contravene an order passed under Section-66 of the Act and shall forthwith forward the person so arrested to the Court.

71. Penalty for non-compliance of order under Section-66.—Any person contravening an order of the Collector made under Section-66 shall be punishable with imprisonment for a term not less than five years but which may extend to seven years and with fine which shall not be less than Rs one lakh but which may extend to Rs 10 lakhs.

72. Powers in relation to absconding person.— (1) If the Collector finds that a person in respect of whom an order has been made under Section-66, is an absconder or has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed, the Collector may by order notified in the official gazette and published in the local newspaper, direct the said person to appear before such officer, at such place and within such period as may be specified in the order.

(2) If any person fails to comply with any order issued undersub-section (1), the Collector shall be competent to confiscate the moveable and/or immoveable properties of the concerned person under Section-58 of this Act.

Chapter VIII

DETECTION, INVESTIGATION AND TRIAL OF OFFENCES

73. Power to enter, inspect, search and seize.—Any of the following officers namely:

- (a) The Excise Commissioner; or
- (b) The Collector; or
- (c) Any block level officer and above of the District authorized by the Collector; or
- (d) Any Excise Officer; or
- (e) Any police officer not below the rank of Sub Inspector; or
- (f) Any other officer or agency or force, armed or otherwise, authorized for this purpose by the State Government;

may, without warrant but subject to such restrictions as may be prescribed by the State Government, enter, inspect, search any place at any time, day or night, and seize any document, sample, equipment, conveyance, animal, commodity, intoxicant, material, raw material or any other item of concern.

74. Power to arrest or detain without warrant.—(1) Any of the officers mentioned in Section-73 may arrest or detain, without warrant, any person and/or any vehicle, animal, means of conveyance, at any time of day and night, found committing an offence or attempting to commit an offence punishable under any provision of this Act.

(2) All arrests made under this section must be reported to the Collector forthwith.

75. Power to conduct breath analysis tests and medical tests.—(1) Any of the Officers mentioned in Section-73 may ask any person to undergo breath analysis tests and/or such medical tests as he may deem fit.

(2) The person so asked, is duty bound to submit himself to such medical tests or breath analysis tests. Should he fails to do so, it shall be presumed that he has committed an offence under Section 37 of the Act and shall be prosecuted accordingly.

(3) The reports of such tests shall be admissible as evidences under the Indian Evidence Act, 1872.

76. Offences to be Cognizable and Non-Bailable.— (1) All offences under this Act shall be Cognizable and Non-Bailable and provisions of Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) shall apply.

(2) Notwithstanding anything mentioned in subsection (1) above, nothing in Section-360 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974), Section-438 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) and Probation of Offenders Act 1958 (20 of 1958) shall apply in relation to any case involving the arrest of any person on an accusation of having committed an offence under this Act.

77. Power to obtain information.—The Excise Commissioner or Collector or any excise officer or police officer not below the rank of Assistant Sub Inspector, may by order, require any person or any establishment deemed reasonably connected with any unlawful handling of any liquor or intoxicant to furnish to him such information as may be specified in the order.

78. Power to investigate.—(1) Any excise officer may investigate any offence punishable under this Act.

(2) Any police officer, not below the rank of sub inspector may investigate any offence punishable under this Act.

79. Powers of the Excise Officer.— (1) All excise officers mentioned in Section-73 shall exercise the powers of the officer-in-charge of a police station in his area of jurisdiction for the purposes of this Act.

(2) The area to which an excise officer is empowered under Section-73 shall be deemed to be a police station.

80. Production of Persons arrested.—Any person arrested under this Act shall be produced before the Court within twenty four hours.

81. Duty of police to accept seized articles and arrested persons.—Every officer-in-charge of a police station shall take charge of and keep in safe custody, pending the order of the Court or the Collector, all articles seized or persons arrested under this Act which may be delivered to him and shall allow the excise officer who may accompany such articles, to affix his seal to such articles and to take samples of and from them.

82. Reports of arrests, seizures and searches.—Every Police Officer upon making any arrest, search or seizure shall submit a report to the Collector and to the excise officers empowered under Section-73 within twenty four hours.

83. Trial by the Court.—Notwithstanding anything contained in subsection(1) of section-76 of this Act, all offences punishable under this Act shall be tried by the Court of Sessions.

84. Special Courts – (1) Notwithstanding anything contained in this Act or the Code of Criminal Procedure 1973 (Act 2 of 1974), the State Government may, if consider necessary in the public interest, for the purposes of trial of all or any of the offences under this Act, either appoint or designate in every District of the State, Special Court(s) in consultation with the Chief Justice of the High Court.

(2) The Special Court shall be presided over by a Special Judge who is or has been a Sessions Judge or an Additional Sessions Judge or an Assistant Sessions Judge under the Code of Criminal Procedure 1973 (Act 2 of 1974).

(3) The trial under this Act of any offence by the Special Court shall have precedence over the trial of any other case against the accused in any other Court (not being a Special Court) and shall be concluded in preference to the trial of such other case.

(4) All trials and proceedings under the Bihar Excise Act 1915(Bihar& Orissa Act II of 1915), pending in any other Court, before the commencement of this Act, shall stand transferred to the Special Courts.

85. Procedure and Power of the Special Judge.—(1) A Special Judge may take cognizance of offences without the accused being committed to him for trial and, in trying the accused persons, shall follow the procedure prescribed by the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), for the trial of warrant cases by the Magistrates;

(2) Save as provided in sub-section (1), the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), shall, so far as they are not inconsistent with this Act, apply to the proceedings before a special Judge; and for purposes of the said provisions, the Court of the special Judge shall be deemed to be a Court of Session and the person conducting a prosecution before a special Judge shall be deemed to be a public prosecutor;

(3) In particular and without prejudice to the generality of the provisions contained in sub-section (2), the provisions of sections-326 and 475 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), shall, so far as may be, apply to the proceedings before a special Judge and for the purposes of the said provisions, the special Judge shall be deemed to be a Magistrate;

(4) A special Judge may pass upon any person convicted by him any sentence authorized by law for the punishment of the offence of which such person is convicted;

(5) A special Judge, while trying an offence punishable under this Act, shall exercise all the powers and functions exercisable by a District Judge under the Criminal Law Amendment Ordinance, 1944 (Ord.38 of 1944);

(6) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the special Judge shall, as far as practicable, hold the trial of an offence on day-to-day basis.

86. Power to transfer cases to Regular Courts.—Where, after taking cognizance of any offence in this Act, a Special Court is of the opinion that the offence is not triable by it, it shall, notwithstanding that it has no jurisdiction to try such offence, transfer the case for the trial of such offence to any court having jurisdiction under the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) and the Court to which the case is transferred may proceed with the trial of the offence as if it had taken cognizance of the offence.

87. Power of the Special Court to implead manufacturer, owner, occupier, etc.—Where at any time during the trial of an offence under this Act, alleged to have been committed by any person, not being the manufacturer, distributor or dealer of any intoxicant or owner or occupier of any premises involved in the offence, the Special Court is satisfied, on the evidence adduced before it, that such manufacturer, distributor, dealer, owner or occupier is also concerned with that offence then the court may notwithstanding anything contained in the sub-section (3) of section-319 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), proceed against him under any section of this chapter.

88. Special/ Additional Public Prosecutors.—For every Special Court set up under Section 84 of the Act, the State Government, as per the procedure laid down under Section-24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974), may appoint a person to be the Special Public Prosecutor and more than one person to be Additional Public Prosecutors.

89. Appeal.—Any person aggrieved by any order of the Special Court may, within forty five days from the date of order, prefer an appeal in the High Court.

90. Application of certain provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973.— (1) Save as otherwise expressly provided in this Act, the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) relating to arrests, detention, searches, summons, warrants of arrest, search warrants, and the production of persons arrested or articles seized shall apply so far as may be, to arrests, detentions and searches made, summons and warrants issued, and the production of persons arrested or articles seized under this Act.

(2) The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), shall in their application to any proceeding in relation to an offence punishable under this Act have effect as if-

- (a) in sub-section (1) of Section-243, for the words "The accused shall then be called upon", the words "The accused shall then be required to give in writing at once or within such time as the Court may allow, a list of the persons (if any) whom he proposes to examine as his witnesses and of the documents (if any) on which he proposes to rely and he shall then be called upon" had been substituted;
- (b) in sub-section (2) of section-309, after the third proviso, the following proviso had been inserted, namely :-
"Provided also that the proceeding shall not be adjourned or postponed merely on the ground that an application under section-397 has been made by a party to the proceeding."
- (c) after sub-section (2) of section-317, the following sub-section had been inserted, namely :-
"(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) or sub-section (2), the Judge may, if he thinks fit and for reasons to be recorded by him, proceed with enquiry or trial in the absence of the accused or his pleader and record the evidence of any witness, subject to the right of the accused to recall the witness for cross-examination."
- (d) in sub-section (1) of section-397, before the Explanation, the following proviso had been inserted, namely :-
"Provided that where the powers under this section are exercised by a court on an application made by a party to such proceedings, the court shall not ordinarily call for the record of the proceedings,-
 - (a) without giving the other party an opportunity of showing cause why the record should not be called for; or
 - (b) if it is satisfied that an examination of the record of the proceedings may be made from the certified copies."

91. Procedure for launching Prosecution.— (1) As soon as a violation of any of the provisions of the Act is detected, the excise officer or the police officer, of the rank of assistant sub inspector and above, shall register a case under the Act.

(2) The excise officer or police officer concerned shall then proceed for investigation of the case.

(3) After investigation of the case, he shall file a Report within Sixty –Days from the date of registration of the case.

(4) The Report so filed shall be deemed to be a Police Report for the purposes of Section-173(2) and Section-190 of the Code of Criminal Procedure ,1973 (Act 2 of 1974).

(5) The Collector shall ensure that the aforementioned Report is filed in time and shall also monitor effective prosecution of the cases before the Courts.

(6) The Superintendent of Police shall closely monitor the status of cases filed by the police officers under this Act and shall submit period reports to the Excise Commissioner and the Collector.

Chapter IX

APPEALS AND REVISION

92. Appeals.— (1) All final orders passed by any Excise Officer other than the Excise Commissioner or Collector under this Act, shall be appealable to the Collector within sixty days from the date of the order.

(2) All final orders passed by the Collector and Excise Commissioner shall be appealable to the Excise Commissioner and the State Government respectively within ninety days from the date of the order complained of.

Provided that no second appeal shall lie against an order passed by the Excise Commissioner on appeal.

(3) The State Government may make rules in this behalf.

93. Revision.—The State Government may, on its own motion or on an application made to it, call for and examine the records of any proceeding before any Excise Officer or any document, including that relating to renewal or refusal of license or grant of permit, passed under this Act, for the purpose of satisfying itself as to the correctness and legality of any order passed in, and as to regularity of, any such proceeding and may, when calling for such record, direct that the order be not given effect till the pendency of the examination of the record, so called for. After examining the record, the State Government may annul, reverse, modify or confirm such order, or pass such other order as it may deem fit.

Chapter X EXEMPTIONS

94. Power of State Government to exempt intoxicants from the provisions of this Act.—The State Government may, by notification, either wholly or partially, and subject to such conditions (if any) as it may think fit to prescribe, exempt any intoxicant or any manufactory of an intoxicant from all or any of the provisions of this Act, either throughout the State or any specified area of the State, for any specified period or occasion or for any specified class of persons and for such purposes.

Chapter XI MISCELLANEOUS

95. Power of the State Government to make rules.—(1) The State Government may, by notification, in the Official Gazette, make rules not inconsistent with the provisions of this Act to carry out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

- (a) prescribing the powers and duties of excise officers;
- (b) prescribing the manner of dealing with appeal and revision;
- (c) prescribing the process of filing prosecution report by the excise officers;
- (d) prescribing the procedure for appointment of Special Public Prosecutors or Additional Public Prosecutors;
- (e) prescribing the manner of monitoring of prosecution of all cases filed under the Act by the Collector;
- (f) declaring the process and procedure of manufacturing, storage, disposal and denaturation of spirit and ethanol;
- (g) regulating the time, place, rate and manner of payment of duty or fee and taking of security for its due payment;
- (h) prescribing the authority by which, the form and the manner in which, and the terms and conditions, subject to which any license, permit or pass shall be granted;
- (i) providing for destruction or other disposal of any liquor deemed to be unfit for use;
- (j) regulating disposal of confiscated articles;
- (k) providing for the grant of reward to excise officers and informers;
- (l) regulating the grant of expenses to witnesses;
- (m) regulating the power of excise officer to summon witnesses;
- (n) curbing activities of boot-leggers who distill, manufacture, store, transport, import, export, sell or distribute any liquor or intoxicant in contravention of any provisions of this Act or the rules made there under;
- (o) prescribing the manner and procedure for sealing of premises, confiscation and community fine as mentioned in the Act;
- (p) prescribing the delegation of various powers and duties between the Board, the Excise Commissioner or the Collector;
- (q) any miscellaneous matter for which the Government feels essential to make rules for;
- (r) any other matter which is required to be, or may be prescribed under this Act;

(3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislature while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in

one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid the State Legislature agrees in making such modifications in the rule or the State Legislature agrees that the rule should not be made, the rule shall have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done or omitted to be done under that rule.

96. Officers to be Public Servants.— (1) All officers and persons empowered to exercise any powers or to perform any functions under this Act shall be deemed to be public servants within the meaning of section-21 of the Indian Penal Code, 1860 (Act 45 of 1860).

(2) No suit shall lie in any civil court against the State Government or any excise officer for damages for any act done in good faith or ordered to be done in pursuance of this Act or of any other law for the time being in force relating to the excise revenue.

(3) No civil court shall try any suit against the State Government in respect of anything done, or alleged to have been done, in pursuance of this Act, and except with the previous sanction of the State Government, no Magistrate shall take cognizance of any charge made against any excise officer under this Act or made against any other person under this Act.

97. Orders to remain in force.— (1) Every order, notification, rule or regulation which was made under the Bihar Excise Act, 1915 (Bihar and Orissa Act II of 1915), Bihar Excise (Amendment) Act, 1973, Bihar Excise (Amending & Validating) Act, 1981, Bihar and Orissa Excise (Amendment) Act, 1985, and the Bihar Excise (Amending and Validating) Act, 1995, Bihar Excise (Amendment) Act, 2016 (Bihar Act 3 of 2016), Bihar Prohibition Act, 1938 (Act 6 of 1938) by the State of Bihar or by the Excise Commissioner, Collector, the Board or any other Excise Officer appointed under those enactments, relating to the matter of Excise and which was in force immediately before the expiration thereof shall, in so far as such order or notification or rule or regulation is not inconsistent with the provisions of this Act, be deemed to continue in force and to have been made under this Act.

98. Repeal and Savings.—(1) The Bihar Excise Act, 1915 (Bihar and Orissa Act II of 1915) including its amending Acts called Bihar Excise (Amendment) Act, 1973, Bihar Excise (Amending & Validating) Act, 1981, Bihar and Orissa Excise (Amendment) Act, 1985, and the Bihar Excise (Amending and Validating) Act, 1995, and the Bihar Excise (Amendment) Act, 2016 (Act 3 of 2016) along with the Bihar Prohibition Act, 1938 (6 of 1938), are hereby *repealed*.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Act shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

(3) All references in any enactment to any of the provisions of the Act so repealed shall be construed as references to the corresponding provisions of this Act.

(4) All proceedings (including proceedings by way of investigations) pending before any Officer, Authority or Court, immediately before the commencement of this Act shall on such commencement be deemed to be proceedings pending before it as per this Act and shall continue to be dealt with accordingly.

99. Validation.—*Notwithstanding anything contained in any judgement, decree or order of any court, tribunal or other authority,-*

- (a) the provisions of the Bihar Excise Act, 1915 (Bihar and Orissa Act II of 1915), Bihar Prohibition Act, 1938 (Act 6 of 1938), Bihar Excise (Amendment) Act, 1973, Bihar Excise (Amending & Validating) Act, 1981, Bihar and Orissa Excise (Amendment) Act, 1985, and the Bihar Excise (Amending and Validating) Act, 1995, and the Bihar Excise (Amendment) Act, 2016 (Act 3 of 2016) shall have and shall be deemed always to have effect for all purposes as if the provisions of the Bihar Excise Act, 1915 (Bihar and Orissa Act II of 1915) and the Bihar Prohibition Act, 1938 (6 of 1938), as amended by the aforesaid amendments, had been in force at all material times;

- (b) no suit or other proceedings shall, without prejudice to the generality of the foregoing provisions, be maintained or continued in any court or tribunal or authority for the enforcement of any decree or order or direction given by such court or tribunal or authority under the provisions of the Bihar Excise Act, 1915 (Bihar and Orissa Act II of 1915) and the aforesaid amending Acts and the Bihar Prohibition Act, 1938 (6 of 1938), as it stood before the commencement of the Bihar Prohibition and Excise Act, 2016.

100. Power to remove difficulty.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act the State Government may, by notification in the Official Gazette, make such provisions as it deems necessary or expedient for removing the difficulty.

(2) Every notification issued under this section shall, as soon as may be after it is issued, be laid before the State Legislature.

By Order of the Governor of Bihar,
SANJAY KUMAR,
Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 805-571+400-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>